महानगर नई दिल्ली मंगलवार 3 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

महिला सुरक्षा : देश भर में आक्रोश, संसद में गूंज

अयोध्या : मुसलिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सोमवार को एक मुसलिम पक्षकार ने याचिका दायर की और कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश देने पर ही संपूर्ण न्याय हो सकता है।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि राम लला को सौंपने और मस्जिद निर्माण के लिए उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ का भूखंड आबंटित करने का केंद्र को निर्देश दिया था।

हालांकि, संविधान पीठ के इस फैसले को उप्र सुन्नी सेंट्रल बाकी पेज ८ पर

फैसला सबूतों और तर्क पर आधारित नहीं : मदनी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

प्रमुख मुसलिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सोमवार को दावा किया कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला 'बहुसंख्यकवाद और भीड़तंत्र' को न्यायसंगत ठहराता है। उन्होंने कहा कि जमीयत इसलिए न्यायालय गई है, क्योंकि अयोध्या बाकी पेज ८ पर

देवेंद्र फडणवीस ने खारिज किया अनंत हेगड़े का दावा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुआई वाली अल्पकालिक सरकार के गठन को लेकर एक बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कांग्रेस व शिवसेना ने उनके बयान को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है तो खुद फडणवीस ने हेगड़े के बयान को खारिज कर दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 40 हजार करोड़ रुपए बचाने के लिए फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाने का ड्रामा किया गया

दरअसल, भाजपा सांसद हेगड़े ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में बहुमत नहीं होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस की अगुआई में सरकार बनाने का नाटक इसलिए किया ताकि मुख्यमंत्री के नियंत्रण वाली 40,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि का दुरुपयोग रोका जा सके। उन्होंने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में येल्लापुर में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान बाकी पेज ८ पर

'इस तरह कोई कोष नहीं लौटाया जाता'

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हेगड़े के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने उस बयान को पूरी तरह निराधार बताया जिसमें बहुमत नहीं होने के बावजूद 40 हजार करोड़ की केंद्रीय निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। फडणवीस ने नागपुर में कहा- यह बिलकुल गलत है और मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं। केंद्र सरकार की एक कंपनी बुलेट ट्रेन परियोजना ला रही है, जहां महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भूमि अधिग्रहण तक सीमित है। केंद्र ने न ही किसी कोष की मांग की और न ही महाराष्ट्र सरकार ने उसे वापस किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया। जो लोग केंद्र और राज्य सरकार की लेखांकन प्रणाली को समझते हैं उन्हें पता होगा कि इस तरह कोई कोष लौटाया नहीं जाता।

भारत की जवाबी कार्रवाई में चार पाक फौजी ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

पाकिस्तानी सेना ने रविवार को पुंछ जिले के कस्बा और शाहपुर सेक्टर में संघर्षविराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने यह नापाक हरकत शाम करीब चार बजे की। इस नापाक हरकत में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। नियंत्रण रेखा के पार राखचिकरी और रावलकोट सेक्टरों में पाकिस्तान बाकी पेज ८ पर

तमिलनाडु के मेट्टुपलायम में वर्षा का कहर

भारी बारिश, दीवार गिरने से 17 की मौत

कोयंबटूर/इरोड (तमिलनाडु) 2 दिसंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के मेट्टुपलायम में भारी बारिश के कारण एक दीवार कई दूसरे मकानों पर गिर गई जिससे 10 महिलाओं और दो बच्चों सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर तमिलनाडु के पश्चिमी जिले इरोड में भवानी नदी के तटों के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है।

पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी निजी परिसर की 15 फुट ऊंची दीवार सुबह करीब पांच बजे नजदीकी घरों की छतों पर गिर गई, जिससे घरों में सो रहे कई लोग अंदर ही दब गए। दमकल एवं बचाव सेवा कर्मियों ने स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मलबे से शव बाहर निकाले। बचाव अभियान अभी जारी है।

पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी निजी परिसर की 15 फुट ऊंची दीवार सुबह करीब पांच बजे नजदीकी घरों की छतों पर गिर गई, जिससे घरों में सो रहे कई लोग अंदर ही दब गए।

इरोड में भवानी नदी के तटों के पास रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी

मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने घटना पर शोक जताते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के लिए राज्य आपदा राहत कोष से चार-चार लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कोयंबटूर जिला कलक्टर के राजामणि और पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार भी घटना बाकी पेज ८ पर

कैग की रिपोर्ट : दस साल में सबसे खराब रहा परिचालन अनुपात

रेलवे ने 100 रुपए कमाने के लिए खर्चे 98.44 रुपए

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय रेल का परिचालन अनुपात (ओआर) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसद दर्ज किया गया जो पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब है। यह बात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट से सामने आई है। इसके साथ ही कैग ने सिफारिश की है कि रेलवे को आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सके।

रेलवे में इस परिचालन अनुपात (ओआर) का तात्पर्य यह है कि रेलवे ने 100 रुपए कमाने के लिए 98.44 रुपए व्यय किए। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसद रहने का मुख्य कारण संचालन व्यय में उच्च वृद्धि है।

2017-18 के वित्तीय वर्ष में सौ रुपए कमाने के लिए खर्च किए 98.44 रुपए
कैग ने रेलवे को आंतरिक राजस्व बढ़ाने के उपाय करने की सिफारिश की है ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके।

इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2008-09 में रेलवे का परिचालन अनुपात 90.48 फीसद था जो 2009-10 में 95.28 फीसद, 2010-11 में 94.59 फीसद, 2011-12 में 94.85 फीसद, 2012-13 में 90.19 फीसद, 2013-14 में 93.6 फीसद, 2014-15 में 91.25 फीसद, 2015-16 में 90.49 फीसद, 2016-17 में 96.5 फीसद और 2017-18 में 98.44 फीसद दर्ज किया गया ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेल का कुल व्यय बाकी पेज ८ पर

सरकार कठोरतम कानून बनाने के लिए तैयार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

लोकसभा में सोमवार को सभी दलों के सदस्यों ने एक स्वर से हैदराबाद में पिछले सप्ताह एक महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना की कड़ी निंदा की और ऐसे अपराधों के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने के लिए कठोरतम कानून बनाने की मांग सरकार से की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए सदन की चिंता से सहमति जताई।

आइपीसी व सीआरपीसी में बदलाव की कवायद जारी : गृह राज्यमंत्री *बेटियों* के साथ ऐसे अपराध घोर निंदनीय: लोकसभा अध्यक्ष

सदन की भावना से सहमति जताते हुए रक्षा मंत्री व सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने हैदराबाद की घटना को बेहद अमानवीय करार देते हुए कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार कठोरतम कानून बनाने के लिए तैयार है।

सदन में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी ने फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर शीघ्र सुनवाई करने और दोषियों को फांसी देने की दिशा में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने तेलंगाना में शराब बिक्री की त्रुटिपूर्ण नीतियों को भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने इस संबंध में निर्भया कांड का उल्लेख करते हुए कहा बाकी पेज ८ पर

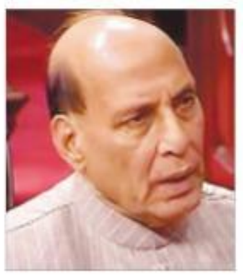

लोकसभा सदस्यों की भावना से सहमति जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एक युवती के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सदन में कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी तो सरकार इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा- इससे अधिक अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता है। सभी शर्मसार और आहत हैं। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद इसी सदन में कठोर कानून बना था लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है और ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा देने पर सदन में जो सहमति बनती है, उसके आधार पर सरकार प्रावधान लाने को तैयार है।

बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से मिले सजा : जया बच्चन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और उसे जलाकर मार डालने की घटना की सोमवार को अधिकतर राज्यसभा सदस्यों ने निंदा की। ज्यादातर सदस्यों ने ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई कर दोषियों को मौत की सजा देने और सामाजिक बदलाव के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की मांग की।

समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने कहा कि बलात्कार के दोषियों के साथ किसी तरह की बाकी पेज ८ पर

लोग सड़कों पर उतरे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार-हत्या के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को दिल्ली सहित देश में कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे। छात्र संगठन बाकी पेज ८ पर

दोषियों की ओर से आगे अपील करने के चलन की समीक्षा की जरूरत : वेंकैया

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों की ओर से उच्च अदालतों में अपील करने और दया याचिका दायर करने की अनुमति देने के चलन की समीक्षा करने की जरूरत पर बल दिया है। सदस्यों के अपनी बात रखने के बाद सभापति नायडू ने कहा कि महिलाओं के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों में निचली अदालतों में सजा सुनाए जाने के बाद दोषी न केवल आगे की अदालतों में अपील करते हैं बल्कि वह माफी के लिए क्षमा याचिका भी देते हैं। 'इस चलन की समीक्षा की जानी चाहिए।' नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें ही एकमात्र समाधान हैं लेकिन अपील दर अपील का सिलसिला भी चलता रहता है।

प्रियंका की सुरक्षा में सेंध, मकान में घुस आई गाड़ी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। 26 नंवबर को दोपहर करीब दो बजे उनके घर में एक अनजान गाड़ी घुस आई, जिसमें कई लोग सवार थे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के आवास के भीतर तीन महिलाएं और तीन पुरुष एक बच्चे के साथ घुस आए थे।

जब वे सभी गाड़ी से उतरे तो प्रियंका गांधी उनसे मिलीं और पूछा कि आखिर वे लोग कहां से आ रहे हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे लोग प्रियंका गांधी के प्रशंसक हैं और उनसे मिलने के लिए आए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने उन लोगों को चाय नाश्ता कराकर रवाना किया।

जब वह वाहन वहां पहुंचा तब प्रियंका गांधी एक अहम बैठक ले रही थीं। इस घटना के बारे में प्रियंका गांधी के दफ्तर ने सीआरपीएफ के आइजी को लिखी एक चिट्ठी में सुरक्षा में ढील होने का ब्योरा दिया है। इसके बाद सीआरपीएफ ने अपनी दलील में कहा कि घर में घुसने से रोकने का जिम्मा दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि उन्हें किसी ने गेट खोलने का ग्रीन सिग्नल दिया था, तभी उन्होंने दरवाजा खोला था।

इस चूक के बारे में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता प्रियंका बाकी पेज ८ पर

दरअसल

सड़क हादसों के आंकड़े पर नितिन गडकरी ने जताया अफसोस

कबूलनामा

हादसों में मरने वालों की संख्या 0.2 फीसद बढ़ गई है

कानून तो हुआ सख्त पर घटी नहीं हादसों में मरने वालों की संख्या

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को माना कि मोटर वाहन कानून को सख्ती के साथ लागू किए जाने के बावजूद देश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि पिछले साल जनवरी से सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर तक सड़क हादसों में 2.2 फीसद की कमी आई है लेकिन इन हादसों में मरने वालों की संख्या 0.2 फीसद बढ़ गई है।

पूरक प्रश्नों के जवाब में गडकरी ने उच्च सदन को बताया, 'सड़क हादसों के आज आंकड़े देखने के बाद मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अभी भी सड़क हादसों और मरने वालों की संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है।' गडकरी ने इसके लिए सड़क इंजीनियरिंग संबंधी खामियों को प्रमुख वजह बताते हुए कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार और सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट की पहचान कर इन्हें दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने सात सात हजार करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक (एडीबी) को सौंपी है।

उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में भारी इजाफे का उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना नहीं बल्कि 25 साल पहले निर्धारित जुर्माना राशि को समयानुकूल बनाते हुए लोगों को कानून के पालन के प्रति जागरूक बनाना है। गौरतलब है कि संशोधित मोटर वाहन कानून इस साल एक सितंबर से लागू हुआ था।

गडकरी ने तमिलनाडु में सड़क हादसों में 29 प्रतिशत कमी आने का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून को कारगर तरीके से लागू करने के लिए तमिलनाडु का मॉडल अनुकरणीय है और अन्य राज्यों से भी इसे अपनाने का अनुरोध किया गया है। वाहन की कीमत से अधिक जुर्माना वसूलने के प्रावधानों पर सवाल खड़े वाले एक पूरक प्रश्न के जवाब में गडकरी ने कहा कि संशोधित कानून में जुर्माना संबंधी प्रावधानों को समवर्ती सूची के तहत निर्धारित किया गया है इसलिये राज्य अपनी सहूलियत से जुर्माने की राशि का निर्धारण कर सकते हैं।

सड़क हादसों के आज आंकड़े देखने के बाद मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अभी भी सड़क हादसों और मरने वालों की संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, बोले गडकरी।
संशोधित मोटर वाहन कानून इस साल एक सितंबर से लागू हुआ था।
गडकरी ने तमिलनाडु में सड़क हादसों में 29 फीसद कमी आने का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून को कारगर तरीके से लागू करने के लिए तमिलनाडु का मॉडल अनुकरणीय है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Surender Choudhary S/o Lakhi Ram R/o H.No. 9/5188 Old Seelampur Village, Gandhi Nagar Delhi-110031, inform that name of mine hasbeen wrongly written as Surendar in my Driving License.The actual name of mine is Surender Choudhary which may be amended accordingly. 0040522701-3

It is for gen inform that I No 2879437A ex/Naik Umed Singh R/O-23B 1st-floor HP-block DDA-flats Pitampura Delhi-34, I, hereby inform that name of my wife mentioned in service-records as Roshni but the real name of my wife is Prem, for all purposes. 0040522757-5

I,Yogesh Kumar S/o Bhudev Prasad Sharma R/o-D471,100-Feet Road,Kalindi Vihar,ADA Colony,Sector-D, Kuberpur, Agra, U.P.-282006,have changed my name to Yogesh Sharma for,all purpose. 0040522708-2

I,Saurabh S/o Baldev Oberoi R/o-E-29B, E-Block, Tilak Vihar Nagar,New Delhi-110018,have changed my name Saurabh to Saurabh Oberoi. 0040522724-1

I,Rezwana Begum W/o Anis Ahmed Saifi R/o.H.No-662, Deepak Vihar,Khora Colony, Khora, Ghaziabad,U.P.-201309, have changed my name to Rizwana Begum Saifi permanently. 0040522708-7

I,Ranbir Singh Mehendru S/o Harbans Singh Mahendru R/o.D-127,Sector-51, Noida, GautamBudh Nagar,Uttar Pradesh-201301,have changed my name to Ranbir Singh Mahendru Permanently. 0040522708-4

I,Kalim Ahmed S/o Anis Ahmed Saifi R/o.RC-662,Deepak Vihar,Khora Colony,Khora, Ghaziabad,U.P.-201309,have changed my name to Kalim Ahmed Saifi permanently. 0040522708-5

I,Anita Mehendru W/o Ranbir Singh Mahendru R/o.D-127,Sector-51, Noida , Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh-201301,have changed my name to Anita Mahendru Permanently. 0040522708-3

I,Anish Ahmed S/o Abdul Shakoor Saifi R/o.RC-289,Deepak Vihar,Khora Colony,Khora, Ghaziabad,U.P.-201309,have changed my name to Anis Ahmed Saifi permanently. 0040522708-6

I, Vijay Kumar Sharma S/o Ganesh Dass R/o-403,Tower-D, Microtek Greenburg, Sector-86, Gurgaon, Haryana-122004. inform that name of mine has been wrongly-written as Vijay Sharma in birth-records of my minor daughter Avira Sharma, but correct name is Vijay Kumar Sharma. 0040522694-8

I, Vicky.Vikky S/O Sunderlal Garg. A-51 Kewalpark. Extension. Mandimargpanchvati Azadpur Delhi-33. Have Changed My Name To Aayush Garg.(15/9/1999) Permanently. 0040522694-2

I, Venkata Raman Lakshmi, D/o Rajagopalan Subramaniam, R/o 1463, Sector-37,Arun Vihar, Noida have changed my name from Venkata Raman Lakshmi to V Lakshmi for all future purpose. 0040522646-2

I, Varun S/o Sh.Raj Kumar R/o, O-104, Chander Shekar Azad Colony, Kishanganj, Delhi-110007, have changed my name Varun Chauhan to Varun for all purposes. 0040522624-2

I, Vailankanni Martin D/O Andrew Martin R/O 4/149 lalita park, laxmi nagar, shakar pur East Delhi-110092 Changed my name to Pooja Martin. 0040522757-1

I, Suresh Kumar Sharma S/o Ram Chander Sharma R/o WZ-64B, Todapur-Village, Delhi-110012 have changed my name to Suresh Kumar. 0040522707-1

I, Simple Puri W/o Mohit Puri R/o-D-75, Ground-Floor, Mehendru-Enclave, Shanjarpur, Delhi-110033 have changed my name from KM.Simpal Chopra to Simple Pure, for all Purposes. 0040522694-10

I, Shobhit Agarwal S/o Sh. Ramesh Chandra Agarwal R/o B-263, Yojna Vihar East Delhi-110092, have changed my name from Shobhit Agarwal to Shobhit Ramesh Agarwal for all purposes. 0040522649-1

I, Shyam Bindoraa S/o Chhedi Lal R/o F-381, Type-4Qrs, Nanak Pura, New Delhi-110021 have changed my name from Shyam Sunder to Shyam Bindoraa for all future purposes. 0040522666-1

I Anil Dutt @ Anil Dutt Bhargava S/o Sh. Sis Ram R/o Old Rangpuri Road, H. No. 419, Rangpuri Village, South West Delhi, Delhi - 110037 have changed my name and shall hereafter be known as Anil Dutt Bhargava. 0070686350-1

I Akriti Mishra, D/o Pankaj Mishra R/o 118/1, Labour Colony, Naini Allahabad, U.P-211008 Have changed my name to Shilpa Mishra for all future purposes. 0040522647-1

व्यक्तिगत

I, Shakir Choudhary S/o Sakhawat Hussain R/o R-272, Gali No.3, Jogabai Ext Jamianagar N.Delhi-110025 changed my name Shakir Ali to Shakir Choudhary permanently. 0040522629-1

I, Shaheen W/o Mohammad Seraj Alam R/o D-113, First-Floor, Back Side, Shaheen Bagh, Abul Fazal Enclave Part-II, New Delhi-110025 have changed my name to Shaheen Alam for all purposes. 0040522621-1

I, Saurabh Mittal S/o Sh. Yogendra Mittal R/o B-263, Flat No.-18193, ATS Advantage Ahinsa Khand-1, Indrapuram i.e. Sahibabad, Ghaziabad Uttar Pradesh-2010, have changed my name from Saurabh Mittal to Saurabhh Mittal for all purposes. 0040522636-1

I, Santosh Sodhi W/o S S Sodhi, R/o 2/31, Kalkaji Extension, Nehru Enclae, New Delhi-110019 have changed my name to Sudha Sodhi for all purposes. 0040522628-1

I, Sandeep Kundlia, S/o Kalu Ram Kundlia R/o-143, Arihant-Nagar, West PunjabiBagh, Delhi-110026,have change my minor daughter's name from Diva Kundalia to Diva Kundlia. 0040522717-4

I, Sandeep Kundalia, S/O Kalu Ram Kundlia, R/O 143, Arihant-Nagar, West PunjabiBagh, Delhi-110026, have changed my name to Sandeep Kundlia. 0040522717-1

I, Rasmi W/O Jagdish Kumar, H.no.561-C, First Floor, Rishi Nagar, RaniBagh, Delhi-110034. Changed My Name To Rashmi. 0040522694-5

I, Ramabhat Neelakanta Marathe S/o Gopalbhat Ramabhat Marathe, Permanent R/o-3/122, New-BH-Road, Gandhinagar, Sagar, KT-577401 have changed my name to Neelakanta Marathe. 0040522707-3

I, Raju Devi Kundalia/Raju Kundalia/Raju Devi Jain, W/o Kalu Ram Kundlia, R/o-143, Arihant-Nagar, West PunjabiBagh, Delhi-110026, have changed my name to Raju Devi Kundlia. 0040522717-5

I, Rajesh S/o Bhagwan Swarup R/o-H.No.-525,Krishna Mandir Wali Gali, Village-Nangloi, Delhi-110041,have changed my son's name Nishu to Ankur Bhardwaj. 0040522724-3

I, RICHA NARANG W/o Nitesh Rawal R/o-16/8, 3rd-Floor, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name to RICHA NARANG RAWAL for all purposes. 0040522707-10

I, Pulkit Aggarwal S/o Anil Kumar R/o 38/13, Shakti Nagar, Delhi-07, have changed my name to Pulkit Garg for all purposes. 0040522664-1

I, Poonam Kanwar W/o Late Rakesh Kumar Kanwar R/o-N-494-B Sector-23, Sanjay Nagar, Ghaziabad U.P.-201002, have changed my name to Sunita Devi for all future purposes 0040522701-2

I, Numan Nasim S/O Mohammad Naseem, H.No-1218 Gali Mahal-Sarai, Punjabi Phatak Ballimaran, Delhi-110006, changed My Name To Mohd Nauman. 0040522732-4

I, Nitin S/o Mahipal Singh R/o-B-478, Rajeev Nagar, Begum pur, New Delhi-110086, have changed my name to Nitin Jangid for all purposes. 0040522707-7

I, Neha Singal W/o Shri Amit Kumar R/o G-3/3, Sector-11, Rohini, Delhi-85, have changed my name Nirmal to Neha Singal for all purposes. 0040522624-1

I, Neha Kundalia, W/o Sandeep Kundlia, R/O 143, Arihant-Nagar, West PunjabiBagh, Delhi-110026, have changed my name to Neha Kundlia. 0040522717-2

I, Nasreen W/o Mohammad Miyan R/o C4B/455, Wood Market, T-Huts, LNJP Colony, Delhi-110002 have changed my name to Nasrin permanently. 0040522677-1

I, Narendr Kumar Bhatia, S/o Tej Bhan Bhatia, R/o 34-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065. Have changed my name to Narendra Kumar Bhatia. 0040522757-2

I, Mehvish Sultana D/o Wassy Ur Rehman R/o C-8/275, Rehman Building, Yamuna Vihar, Delhi-110053 have changed my name to Mahvish Sultana. 0040522680-1

I, Mehul Kumar S/o Giradhari Lal R/o 5A/158, Street No.4, Sat-Nagar, KarolBagh, Delhi-110005 have changed my name to Mehul. 0040522707-2

I, Manjeet Singh S/o Late Shri Mohinder Singh Chugh R/o D-55, South Extn Part-I, New Delhi-110049 have changed my name to Manjeet Singh Chugh for all purposes. 0040522631-2

I Deepu Alias Deepika D/o Sh.Kedar Singh W/o Late Pankaj Kumar Singh R/o House No.631/B, Block-I, Hari Nagar Extn., Jaitpur, South Delhi, Delhi-110044 have changed my name to Deepika for all purposes. 0040522618-1

I Arun Kumar S/O J S Shukla, H.No-1833 A/1 Govind Puri-Ext Kalka Ji Delhi-110019. Have Changed My Name To Arun Shukla. 0040522694-7

I, Mahender Singh S/o Sh. Ramphal R/o 177, Mandir Wali Galli, Village Singhu, Delhi - 110040 do hereby declare the name of mine has been wrongly written and Mahendra Kumar in my Driving License No. DL11 20050030632. The actual name of mine is Mahender SIngh, which may be amended accordingly. 0070686347-1

I, Lalita Devi w/o late Sunil Kumar R/o Rajpura Khalsa Rewari Haryana 123401 have changed myname to Lalita. 0070686313-1

I, Km.Kusum Rani Gola W/O Ved Prakash R/o O-49a, Vijay Vihar, Uttam Nagar, Delhi-110059. Changed My Name to Kavita Gola. 0040522694-4

I, Km Sudha Mishra W/o Ratnesh Kumar Ojha R/o-I-6B, Block-A Kaushik Enclave Burari Delhi-110084, changed my name to Sudha Ojha. 0040522717-9

I, Km Dharm Lata Rai @ Poonam Rai D/o Late Sh. Kalp Nath Rai W/o Sh. Durgesh Rai R/o B-4, Hanuman Mandir, Ganesh Nagar, Pandav Nagar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 have changed my name and shall hereafter be known as Poonam Rai. 0070686346-1

I, Kalu Ram Kundalia, S/o Sumer Mal Jain,R/o-143, Arihant-Nagar, West PunjabiBagh, Delhi-110026, have changed my name to Kalu Ram Kundlia. 0040522717-3

I, Tejinder Kaur W/o Satvinder Singh R/o E-139, First Floor, East-of-Kailash, Delhi-110065 have changed my name to Tajinder Kaur. 0040522707-4

I, Jyoti Patwal W/O Rajesh Patwal R/O C-3/21 Gali No-3, C-Block, Dayalpur, Karawal-Nagar, Delhi-110094 According by my Husband's Service Documents Date-of-Birth Mentioned as-12.01.1983 is incorrect,That my real and correct Date-of-Birth is 12.06.1982, permanently. 0040522707-6

I, Jetandro Nath Biswas S/o Raj Kumar Biswas R/o-RZD1-26B D1-Bkock Gali No.5/7 Mahavir-Enclave Palam South/West Delhi-110045. changed my name to Jatindro Nath Biswas. 0040522717-10

I, JC-381042H Sub P K Dwivedi of 1Air Fmn Sig. Regt.C/o-56APO in my service record,Date Of Birth of my wife wrongly mentioned as 01/07/1979, but actual Date Of Birth is 01/03/1980. 0040522757-3

I, JC-380349 Sub S K Mahanti of 1Air Fmn Sig. Regt.C/o-56APO in my service record,Date Of Birth of my wife wrongly mentioned,as 17/06/1973 but actual Date Of Birth is 07/04/1973. 0040522757-4

I, Isha D/o Sh.Bijender Singh R/o-House No.114, Street No.2, Mata Chowk, Rang Puri, South West Delhi, Delhi-110037, have changed my name to Isha Sehrawat, for all future purpose. 0040522707-9

I, Harish Adhikari S/o Late Sh.Madan Singh R/o-P-84, 4th-Floor, Pillanji-Village, Sarojini Nagar, Delhi-110023 have changed my name to Hira Singh for all purposes 0040522732-6

I, Gulshan Sachdeva S/o Late Sh. Dina Nath Sachdeva, R/o B-107, Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008, do hereby solemnly affirm and informs that Gulshan Sachdeva and Gulshan Kumar Sachdeva are one and same person. That in future I will be known as Gulshan Sachdeva for all purposes. 0040522703-1

I, Firoz Khan S/o.Md. Sagir R/o-E-400 Dakshin Puri,Dr. Ambedkar Nagar, New.Delhi-110062,That in My Adhar-Card and my in Eight-Class Certificate,My Name has Been,Wrongly Written as "Vivek" Instead,of Firoz Khan and also,my Father Name Has Been,Wrongly Written as Md. Sagar Instead of Md. Sagir. Which May be,Amended Accordingly. 0040522708-1

I, Farheen Irshad W/o Akeel Ahmad R/o 313/104,Iv-Floor, Tulsi Nagar, Inderlok, Delhi-110035. Changed My Name To Farheen Akeel. 0040522717-6

I, Ekhlak Ahammed S/O Kifayt Hussain, H.No.B-151/1, Abulfazal-Enclave Part-2 Shaheenbagh, Jamianagar, Okhla South/East Delhi-110025., changed my name to Md.Ekhlaque Ahmad. 0040522732-3

I, Dheeraj Kumari Bairagi D/o Sh. Rekhraj Bairagi R/o Ward No. 2, Ummedpura, Kota, Rajasthan - 325003 have changed my name and shall hereafter be known as Vandna Bairagi. 0070686348-1

I, Biplab Mishra, R/o F 53, Ansari Nagar (West), New Delhi-110029, have changed the name of my daughter from NIVEDITA MISHRA to CHRISTINA MISHRA by affidavit sworn before the notary public, Delhi on 27th November, 2019. Henceforth, she will be known as CHRISTINA MISHRA for all purposes. 0040522616-1

I Kishan Lal Paliwal S/O Ganga Prasad R/O D-478,Dabua Colony, Faridabad, NIT, Haryana - 121001 Have Changed My Name From Kishan Lal Paliwal To Kishan Lal For All Purposes. 0070686308-1

व्यक्तिगत

मैं दिलीप टीकाराम श्रीपाद पुत्र श्री टीकाराम श्रीपाद, निवासी : एफबी 15, प्रथम तल, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली–110027 (स्थायी पताः ए–6, 503, योगीधाम, मुरबाड रोड, कल्याण (पश्चिम), जिला–ठाणे, महाराष्ट्र – 421301) कहता हूँ कि मेरे 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्रों में गलती से मेरा नाम श्रीपाद दिलीप टीकाराम लिखा गया है, मेरा सही नाम दिलीप टीकाराम श्रीपाद है, तथा इस नाम को किसी भी उद्देश्य हेतु संदर्भ में लिया जाये, श्रीपाद दिलीप टीकाराम तथा दिलीप टीकाराम श्रीपाद एक ही व्यक्ति हैं

I, Bindiya Shrma W/o Vijay Kumar Sharma R/o-403, Tower-D, Microtek Greenburg, Sector-86, Gurgaon, Haryana-122004 have changed my name to Bindiya Sharma. 0040522694-9

I Suhel S/o Rashid R/o A-30 New Seelampur Delhi-110053 have changed my name to Sohel for all purposes 0040522701-1

I, Bhawna Jangra W/O Inderjeet Singh, H.No. 1716, Sector-55, Faridabad, Haryana-121004, Changed My Name To Bhawna. 0040522732-2

I, Bhagyawanti W/o Sanjay Tewari R/o H.No. K 7/1, Street No.5, West Ghonda, Hansraj Dairy, Garhi Mendu, Delhi-53. Informs that the actual name of mine, has been wrongly-written as Bhagiawanti in my 10th Class Marksheet & Certificate. The actual name of mine, Bhagyawanti which may be amended accordingly. 0040522657-1

I, Ashneet Singh S/o Manjeet Singh Chugh R/o D-55, South Extn Part-I, New Delhi-110049 have changed my name to Ashneet Singh Chugh for all purposes. 0040522631-1

I, Anita Malik, W/o Jaldeep Singh R/o A-603, Garima Vihar, Sector-35, Noida have changed my name from Anita Malik to Acharya Anita for all future purpose. 0040522646-1

I, Amit Kumar Lamba S/O Brij Lal Lamba R/O Hno.108, First-Floor, Pkt-12, Sector-24, Rohini, Delhi-110042. Changed My Nameto Amit Lamba. 0040522717-7

I, Ambar Sharma, S/o Brij Mohan Sharma R/O Flat 505, Saraswati Apartments, Tower S2, Pocket 6, Sector-D, Vasant Kunj, South West Delhi, Delhi-110070, have changed my name to Amber Sharma for all purposes. 0040522550-1

I, Amaan Ali S/O Shakeel Ahmed H.No.F-17, Dilshad Colony, Dilshad Garden, Jhilmil, H.O East Delhi-110095. Changed My Name To Amaan Ali Ahmed. 0040522732-1

I, Alamelu Trichur Veeramani W/o Jayaraman Ananthakrishnan R/o 173C, Pocket-B, Mayur Vihar, Phase-2, Delhi-110091 have changed my name to Alamelu Jayaraman for all purposes. 0040522627-1

I, Abdul Hafees Mohd Aali S/O Md Enatulla R/O-A-42/2, Gali No.3, Pul-Prahladpur, New Delhi-110044, Have Changed My Name To Abdul Hafeez. ForAll Purposes. 0040522694-3

I, Mahesh Parshad S/o Shri. Manohar Lal R/o-317, B-Block, Sudershan Park Delhi-110015, have changed my name to Mahesh Prasad permanently. 0040522707-5

I Ritu Kasana D/o Shri Sant Pal Singh flat.No-T-604 Amarpali Cilicon-City Sector-76 Noida have changed my name to Rituu Kasaana permanently 0040522689-1

I Pradeep S/O Tejpal R/O-K-26 Main VasantKunj Road Mahipalpur Delhi-110037. Have Changed My Name To Pardeep Kumar Sehrawat. 0040522707-8

I Parveen Kumar S/o Kanwar Sen R/o-623, Sangam Appt Pitam Pura Delhi-34 have changed my name to Praveen Kumar. 0040522694-1

I Manish Arora, H.NO-B-73 Gujranwala Town-1 New Delhi-110009. Have Changed My Minor Daughter Name Samaira Arora To Phalak Arora. 0040522694-6

I Himansu garg S/o Fateh chand garg R/o I-160 Ashok Vihar Phase-1 Delhi-110052 have changed name to Himanshu Garg. 0040522717-8

I, Manoj Kumar S/o Satya Narayan Singhal R/o J-106, First Floor, Block-J, Kalkaji New Delhi-110019 have changed my name to Manoj Kumar Singhal for all purposes. 0040522771-1

PUBLIC NOTICE

I, NIRMAL SINGH s/o HARBHAJAN SINGH r/o VPO: Dialpur, P.S. Subhanpur, District Kapurthala, Punjab state that name of my father has been wrongly written as BHAJAN SINGH in my passport and in school certificate whereas his actual name is HARBHAJAN SINGH.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Mahender Kumar Pahwa s/o Sujan Chand Pahwa, R/o E-51, Moti Nagar, New Delhi-110015 have disowned/ debarred his son Rahul Pahwa, daughter-in-law Parul Pahwa & their Child Ryka Pahwa all residing at above said address from his all assets, moveable & immovable properties located at anywhere & also severed all relations with them. Any person/s dealing with them, shall be at his/her own risk. **Jagdish Chandra Trikha Advocate, M-4, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.**

खोया-पाया

I, Sagar Garg son of Shri Satish Garg, Resident of-C-13/14, Sector-3 Rohini, Delhi and others owners of the property hereby declare that the one Relinquishment deed Dated-22.12.2015 of Property bearing No.86 Block & Pocket-A-1 Sector-8, Rohini Delhi is misplaced and not traceable after best effort.If any one found please contact at my above said address or at Phone No.9811181704. 0040522757-8

Lost my original-Qualifying Examination-Marksheet of main Senior-Secondary Examination ofYear-2018, Roll-No. 9674328 issued-by CBSE has been actually lost. Satinder. H.No.547, Gali-No.5, Haiderpur, Delhi-88. 0040522667-1

I, Damini D/o Nahar Singh R/o-503/c ajad Gali jheel khuranja Delhi-110031. have lost my original certificate class-10th year-2014 Rollno-8609376 CBSE-Delhi. 0040522732-7

I, Paramveer Malik S/O SANJAY Malik R/o-Ho.no-30 1st-floor Block-E-3 sector-11 Rohini Delhi. have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8187613 CBSE-Delhi. 0040522732-8

I, Pooja goswami D/o Kanchi giri goswami R/o-179 st.no-4 Karawal-Nagar Delhi-94 have lost my original certificate class-10th year-2015 Rollno-8637948 CBSE-Delhi. 0040522732-9

I, Ravil S/O Ali Mohammad R/o-C-223 St No-5 chouhan-banger Delhi-53. Have Lost my original Certificate Class-10th Rollno-8632785, Year-2018 CBSE- Delhi 0040522732-10

I, Archana W/o Dr Tejinder Singh, R/o O-28, FF, Jangpura Extension, New Delhi-110014 has lost original documents of property bearing of my flat number 222-D, Pocket B, Mayur Vihar, Phase-2, New Delhi. Finder may please be contact-9717514487. 0040522684-1

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that Two Original Agreements dated 12.12.2001 & 04.12.2001 executed by and between M/s. R.C.Sood & Co. Pvt. Ltd., International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, in favour of my client Mrs. Faruga Bano W/o Mr. Iftikhar Ahmed Lone, R/o 160, Bagath Barzulla, Srinagar, Kashmir, in respect of Space No.1, on Ground Floor as well as Basement on Plot No.84, Block I, (measuring 330 sq.yds., approx.) Eros Garden Colony, Faridabad, Haryana, has been lost and is not traceable and any person finding the same may contact me at my Mobile No. 9811149661 and any person dealing with the original Agreement shall do so at his/her/their own cost and peril.

Sd/-
VINOD TRISAL (Advocate)
Ch. No. X-13A, Civil Wing,
Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Khem Chand Chauhan S/o Late Sh. R.S. Chauhan R/o 28, Bhagwan Buddha Apartment, Pitampura, Delhi-110034, Mob No. 9811089449 hereby inform to the general public that Smt. Santosh Bansal W/o Late Sh. J.P. Bansal Resident of C-11/157, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 had agreed to sell her Built-Up Four Storey Property bearing No. C-11/157, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 area measuring 60.00 sq. mtrs. to my client upon receipt of Bayana amount and has entered into an agreement to sell with my client on 24 September 2019 with respect to the above mentioned property. I, hereby, call upon feneral public to inform me & my client if any person whosoever has any claim over this above mentioned property within 10 days from the date of publication.

Sd/-
AJAY PAUL (Advocate)
Mob No. 9810539647

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of my clients **(1) SH. SONAL JAIN** son of Sh. Dharamvir Jain and **(2) MRS. DOLLY JAIN** wife of Sh. Sonal Jain, both resident of 103-A, Veer Nagar, Jain Colony, Delhi-110007 are negotiating with Sh. Arun Kumar Singal alias Arun Singal son of Sh. Raghubeer Saran, resident of A-35, Gulmohar Park, New Delhi, to purchase the Property No.81/1, land measuring 453.33 sq.yds., in Block-A, situated at G.T. Karnal Road Industrial Area, Delhi, who claims the sole & absolute owner of the same.

All persons having any claim or demand or rights in respect of or against the above said property or any part or portion thereof by way of Agreement to sell, inheritance, share, sale, transfer, assignment, private mortgage, gift, exchange, possession, covenant, easement or otherwise howsoever, is hereby required to make the same known in writing with documentary proof to the undersigned at my office within seven days from the date of publication hereof, failing which the claim of such person(s), if any, will be treated as null and void and will not have any legal & any other sanctity and not binding on my clients and the proposed transaction of purchase of the said property shall be completed without any reference to such claim(s).

Parveen Garg (Advocate)
26, RU, Outer Ring Road, Pitampura, Delhi-110034 Mob.9810039884

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Certificate(s) for the under mentioned Equity/Bonus Shares of the Company have been lost/misplaced and holder(s)/purchaser(s) of the said equity/bonus share have applied to the company to issue duplicate share certificates. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge objection for the same with the company at its Registered Office within 21 days from this date else the company will proceed to issue duplicate certificates to the aforesaid applicant without any further intimation.

Name of Company : Reliance Industry Limited, Folio No. 109803912, Certificate Nos. 62242006 (36 shares, Distinctive Nos. 2188124118-2188124153) & 66946062 (72 shares, Distinctive Nos. 6903483794-6903483865)

Name of Share Holder : Sajjan Kumar, Address : 632, Asiad Village, New Delhi-49

Name and Registered Office address of the Company

Reliance Industries Limited, 3rd Floor, Maker Chamber IV, 222, Nariman Point, Mumbai-21

NARENDRA KUMAR, ADVOCATE

FOR: THE LEGAL SOLUTIONS
Ch. No.749, Western Wings, Tis Hazari Court, Delhi-96

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री [illegible] पुत्र स्व. श्री [illegible], निवासी-1228, [illegible], गली नं. 6, [illegible] पूर्वी दिल्ली-110053, में रहते हैं। मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र [illegible] को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और [illegible] व उसकी पत्नी से मेरे मुवक्किल व उनके परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। अतः भविष्य में वह स्वयं कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

हस्ता./-
[illegible] (एडवोकेट)
एफ-602, कड़कड़डूमा कोर्ट, शाहदरा, दिल्ली-32

सार्वजनिक सूचना

"मेरे मुवक्किल नूरजहाँ पत्नी मोहम्मद ताहिर एवं मोहम्मद ताहिर पुत्र मोहम्मद अमीन निवासी RZ-3033-34, तुगलकाबाद एक्सटेन्सन, नई दिल्ली–19 ने अपने पुत्र मुजम्मिल वासी 3/430, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली–62, से उनके गलत संगति और व्यवहार की वजह से, सारे संबंध विच्छेद कर लिया है। उन्हें अपने सारे चल–अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है तथा भविष्य में उनके किसी भी कार्य व लेनदेन की जिम्मेवारी मेरे मुवक्किलों की नहीं होगी"।

Sd./-
Jyotish Kumar Mishra (Advocate)
Ch. No. 262, Saket Courts, New Delhi-17

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल राजू पुत्र स्व. श्री मगंली प्रसाद एवं श्रीमति सर्वेश पत्नी श्री राजू निवासी 5565/4, न्यू चन्द्रावल, कमला नगर, दिल्ली–110007, ने अपने पुत्र सोनू एवं इसकी पत्नी सुषमा को अपनी हर चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिये हैं क्योंकि वे मेरे मुव्वकिल के आज्ञाकारी नहीं रहे हैं और उनका व्यवहार मेरे मुव्वकिल एवं उनके परिवार के प्रति ठीक नही है। अतः भविष्य में वे अपने समस्त कार्यों व लेन देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे, मेरे मुव्वकिल व उनके अन्य परिवारजनों का कोई लेना देना नही होगा।

Sd/-
B.K. Yadav (Advocate)

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्कील श्री गोपाल लाल मिर्वाल पुत्र श्री मोजी राम पता म. न. D2-681, जे. जे. कालोनी, मदन पुर खादर नई दिल्ली 110076 ने अपने पुत्र दीपक कुमार मिर्वाल को उसके गलत व्यवहार, आचरन व भावना नामक लड़की के साथ भाग कर शादी करने एव नियंत्रण मे ना होने के कारण अपनी समस्त चल अचल सम्पती से बेदखल कर दिया है, तथा अपने पुत्र दीपक कुमार मिर्वाल से अपने सारे सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है, अब मेरे मुवक्कील का अपने पुत्र दीपक कुमार मिर्वाल से कोई सम्बन्ध नही रहा है ओर यदि भविश्य मे उपरोक्त दोनो दीपक कुमार मिर्वाल व उसकी पत्नी भावना के साथ कोई व्यक्ति लेन देन करेगा या सम्बन्ध रखेगा तो वह व्यक्ति स्वयम का जिम्मेदार होगा। इसमे मेरे मुवक्कील की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

धर्मवीर सिंह चौहान (अधिवक्ता)
चै.न. 322, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली–17

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Karamjit Singh S/o Late Santokh Singh R/o CISF Unit, NTPC, Tanda, Janpad Ambedkar Nagar (U.P) do hereby disown and debar his son Simranjeet Singh from all his movable and immovable properties with immediate effect because he do not stay with the family nor contribute in any matter of the family. Anybody dealing with him or having relations with him shall be doing so at his/her own risk, cost and responsibility. My client and his family will not be held responsible for any of his act, activity, deed or things done by him.

Sd/- B.B.N. DEO, ADVOCATE
S.R.II, B. Campus,Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that We, Shree Shyam Traders Prop. Keshav Mittal S/o Deepak Mittal office at H-7, G-18, Agarwal Plaza, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi- 110034 have misplaced my blank signed cheques bearing No. 000054 to 000059 and 000061 to 0000100 of Bandhan Bank Branch Bahadurgarh Haryana, and also Letter head of the Company and Stamp in this regard a Complaint lodged in Crime Branch Delhi.

PUBLIC NOTICE

Informed Public at large that my client MAHENDER PAL GUPTA son of Shri Janki Prasad AND KAMLESH GUPTA wife of Shri Mahender Pal Gupta both resident of H.No. A-2, Shyam Colony, Budh Vihar, Phase-II, Delhi-110016, has debarred their son MR. Akash Gupta and his wife Rakhi from their movable and immovable properties and severed their all relations from them. If in future anybody deals with them to do so far his/her own costs, risks and responsibilities my client will not be responsible for the same in any manners whatsoever.

Sd/-
SAMUNDRA SINGH
Advocate
Enro-No. D-1999/08
QU-259, PITAMPURA, DELHI-110088

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. RAMESH CHAND S/o Sh. Tota Ram R/o K-18/9A, Gali No. 5, Gangotri Vihar, West Ghonda, Delhi-110053, has disowned his son namely "Mr. VIPIN KUMAR" S/o Sh. Ramesh Chard & daughter-in-law "Smt. VANDNA W/o Sh. Vipin Kumar both R/o K-18/9A, Gali No.5, Gangotri Vihar, West Ghonda, Delhi-110053 and severed all his relations social and financial with them due to their disobedience. He has debarred them from inheriting his properties movable and immovable. He shall not be responsible for any of their acts, deeds and things. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk.

Sd/-
[SHARAD CHANDRA GUPTA]
Advocate
C-196, Street No.7, Main Dispensary Road, Bhajanpura, Delhi-130053.

Public Notice

Notice is hereby given to public at large that my clients (1) Sh. Jagdish Lal S/O Sh. Lakhmi Dass (2) Smt. Sangeeta Dua D/O Sh. R.P. Malik (3) Sh. Abhishek Dua S/O Sh. Deepak Dua and (4) Miss Priya Dua D/O Sh. Deepak Dua all R/O A-84, Nand Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have severed all their relations with Sh. Deepak Dua due to his bad habits and bad society. Anybody dealing with the said debarred Deepak Dua will deal at his / her / their own risk and responsibilities and my clients will not responsible for the activity of Sh. Deepak Dua.

Praveen Rastogi (Advocate)
RZ-97, Khushi Ram Park, Uttam Nagar, N.D.-59

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला पतीमीना पत्नी स्व. श्री अरूण मैस्सी निवासी मकान नं.174, गॉव–असोला, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली–110074 में रहती हैं। यह कि मेरी मुवक्किला ने अपने बेटे संदीप पाल व उसकी पत्नी अनुराधा को उनके गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुये उन्हें अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में मेरा उपरोक्त बेटे व उसकी पत्नी से कोई भी संबंध नही है। यदि भविष्य में उनके साथ कोई भी व्यक्ति लेनदेन या किसी तरह का संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उनके किसी भी कृत्य के लिये मेरी मुवक्किला व उसका परिवार जिम्मेदार नही होगा।

बृज लाल (अधिवक्ता)
चै.न. 610, साकेत कोर्ट, दिल्ली–17

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

अधीर के बयान पर लोकसभा में हंगामा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया कहने पर भाजपा सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से अपना बयान वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही घुसपैठिए हैं। समझा जाता है कि उन्होंने यह बात परोक्ष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संदर्भ में कही। इस पर चौधरी ने कहा कि उनकी बात को समझे बिना तिल का ताड़ बनाया जा रहा है और उनकी नेता को घुसपैठिया कहना उचित नहीं हैं। शून्यकाल में भाजपा सासंद उदय प्रताप सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस नेता चौधरी से माफी मांगने की मांग की। उनके साथ सत्ता पक्ष के बाकी सदस्य भी सदन में खड़े होकर हंगामा करने लगे।

सीतारमण को 'निर्बला' बताया अधीर ने

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए उन्हें 'निर्बला' करार दिया जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों खासकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि चौधरी को इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में हर महिला 'सबला' है।

कार्पोरेट कर में कटौती से जुड़े संशोधन वाले 'कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2019' पर लोकसभा में चर्चा के दौरान चौधरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें रोका जा रहा है और ऐसे में उन्हें निर्मला नहीं, 'निर्बला' कहा जा सकता है।

दिल्ली सहित 35 शहरों की हवा हुई 'खराब'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह लगातार दूसरे दिन भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम, आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा में नमी का स्तर 85 फीसद रहा। ठंड व आर्द्रता बढ़ने के कारण प्रदूषण के कण तितर–बितर नहीं हो पा रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर आगे और गिरने की आशंका है। देश के 102 मापे गए शहरों में से 35 शहरों की हवा खराब दर्ज की गई वहीं 326 एक्यूआइ के साथ पटना और 325 एक्यूआइ के साथ गाजियाबाद की हवा अब भी बहुत खराब दर्जे की बनी हुई है।

राजधानी में सर्द हवाओं का दौर जारी है। पहाड़ों से आई बर्फीली ठंड ने दिल्ली के पारे को और लुढ़का कर नौ से आठ डिग्री सेल्यिस पर ला दिया। यह इस मौसम के औसत न्यूनतम तापमान से एक डिग्री कम है।

PUBLIC NOTICE

My Client Anil Virmani S/o Late Sh. Madan Lal Virmani R/o Flat No. C-2/006, Printer Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-85 do hereby Disown/Debar his son Karan Virmani from all his movable & immovable properties & severe his relations from him as he is no more in his control. If anybody dealing with him shall be doing at his/her own risk & responsibility. My client shall not be responsible for pros & cons arise therefrom.

Gaurav Dhameja (Advocate)
RU-5, Pitampura, Delhi-34

PUBLIC NOTICE

General public hereby informed that notice given to all concerned that my clients Shri Suresh, S/O Sh. Ayodya Prasad & Smt. Malti Devi W/O Shri Suresh are R/O House No. 18, Ranholla Vihar, Nangloi, West Delhi- 41 are disown/debarred their son Satyajeet Verma and Daughter-in-law Jyoti Soni from all the movable and immovable properties and blood/social relation forever, because they are out of control from my clients clutches and their disobedient. Any person whosoever deal with him shall do at his/her / their own risks cost and responsibility.

Sd/-
R.K. Padhi (Adv.)
Ch. No. 1116, Rohini Court Complex, Delhi- 85

मप्र में बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या : महू शहर में रविवार की रात बलात्कार के बाद एक बच्ची की हत्या किए जाने का कथित मामला सामने आया है। महू पुलिस थाना प्रभारी अभय नेमा ने सोमवार को बताया, बच्ची का कुछ अज्ञात लोगों ने बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। **महू, (भाषा)।**

बहुविवाह, निकाह हलाला के खिलाफ याचिका पर जनवरी में सुनवाई

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुसलिम समुदाय में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद जनवरी, 2020 में सुनवाई की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस मामले का उल्लेख करते हुए इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती और इसे सर्दियों के अवकाश के बाद जनवरी, 2020 में सूचीबद्ध किया जाएगा।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING
EXPRESS EDUCATION

ANTHRO
Last Batch Before Prelims
Starting Dec 23 & Jan 10
Admissions on Dec 5
For details visit www.vaidsics.com
VAID'S ICS, DELHI
Ph: 0-9311337737, 0-9999946748

SSC BANK CPO CDS NDA
ENGLISH (ANKUL SIR)
SSC CGL / CPO PRE + MAINS
At Mukherjee Nagar, Delhi
New Batch Starts 9th Dec.
2 DEMO CLASSES
Timing 1:30 PM to 3:00 PM
CLASSIC CLASSES™
9911191959, 9891991959 YouTube Ankulsir
M-2/A-29,30, Jaina House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

विधानसभा में शीतकालीन सत्र का पहला दिन

दूषित पानी के मुद्दे पर विपक्ष का बहिर्गमन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को शहर में दूषित पानी की आपूर्ति के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा विधायकों ने बहिर्गमन किया। उन्होंने इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही गुप्ता और अन्य तीन भाजपा विधायकों मनजिंदर सिंह सिरसा, ओम प्रकाश शर्मा और जगदीश प्रधान ने राजधानी में दूषित पानी की आपूर्ति का मामला उठाते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी। भाजपा के विधायक बोतलों में भरकर वह दूषित पानी भी लाए थे, जिसकी कथित तौर पर शहर में आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने वे बोतलें सदन में दिखाईं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए कई मुद्दे सूचीबद्ध हैं और वक्त की कमी है, इसलिए इस विषय पर वह चर्चा की इजाजत नहीं देंगे। उनके इस फैसले के बाद सभी चार विधायकों ने विरोध जताने के लिए सदन से बहिर्गमन किया।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुद्दे पर चर्चा कराने की अनुमति न देने पर नाराजगी

बाद में विपक्ष के नेता गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा–दिल्ली में दूषित जल की आपूर्ति पर हम सदन में चर्चा कराना चाहते थे। चर्चा के लिए हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दिया। लेकिन विपक्ष की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने कहा कि वह सूचीबद्ध विषयों से इतर विषयों पर चर्चा की इजाजत नहीं देंगे।

गुप्ता ने कहा कि शहर में जिस पानी की आपूर्ति हो रही है, वह भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता जांचों में खरा नहीं उतरा है। इसके बावजूद विपक्ष को यह मुद्दा नहीं उठाने दिया जा रहा। पिछले दिनों भारतीय मानक ब्यूरो ने राजधानी में अलग–अलग स्थानों पर पानी के नमूनों की जांच की थी और कहा था कि गुणवत्ता के मानकों पर ये सारे नमूने फेल हो गए।

भाजपा का आरोप, जनता दूषित पानी पीने को मजबूर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

दिल्ली भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दूषित पानी की आपूर्ति के खिलाफ चंदगी राम अखाड़ा के पास दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप था कि दिल्ली में दूषित पानी की आपूर्ति होने की वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि बीते 57 महीने के अपने कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। हवा तो दिल्ली की जहरीली हो ही गई थी, लेकिन दिल्ली का पानी उससे भी अधिक जांच में जहरीला निकला है। बीआइएस की रिपोर्ट में सभी मानकों पर फेल हुआ है। जल बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पानी में मिले जहर को पीने के लिए जनता फिर भी विवश है ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बनें रहने का कोई अधिकार नहीं है।

खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित

विधानसभा में सोमवार को खेल विश्वविद्यालय विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसका मकसद ओलंपिक में चीन के मुकाबले ज्यादा पदक जीतना है। केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि यह विश्वविद्यालय सभी खेलों के लिए 'मक्का' साबित होगा।इस विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि नेताओं एवं नौकरशाहों के पास प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के कामकाज में करने के लिए कुछ नहीं होगा और इसे प्रोफेशनल चलाएंगे।

महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मदद मांगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कहा कि वह देखें कि क्या महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में पाठ्यक्रम लाए जाने की आवश्कता है। केजरीवाल ने शाह से कहा कि हमें आपके सहयोग और मदद की आवश्यकता है।

शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि.

पंजी. कार्यालयः 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर – 247001 (उ.प्र.)
प्रधान कार्यालयः 2रा तल, 5 ए एवं 5 बी, फ्यूजन स्ववॉयर,सेक्टर 126, नोएडा
शाखा कार्यालयः रामबाग रोड, गंगोह– 247341

नीलामी सह बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारको/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि. के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका भौतिक एवं सांकेतिक कब्जा शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है की, नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार 9.1.2020 के ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

ऋणधारक (कों)/मार्टगैजर(रों)/गारन्टर(रों) का नाम	मांग सूचना तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	अचल सम्पत्तियों का निरीक्षण की तिथि
1. श्री अमरीश कुमार, पुत्र रघुवीर सिंह (ऋणधारक/मार्टगैजर) 2. श्रीमती सुमनरानी, पत्नी अमरीश कुमार (गारन्टर), दोनोः निवासीः मोह. गुलाम औलिया, गंगोह, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश (ऋण खाता नं. 209700050200)	5 अक्टूबर, 2015 रु. 9,14,993.21 (रुपये नौ लाख चौदह हजार नौ सौ तिड़ानवे एवं पैसे इक्कीस मात्र)	अधोलिखित पते पर अचल सम्पत्तियों का सभी भाग तथा हिस्सा व्यावसायिक सम्पत्ति, शॉप नं. 11,12,13 एवं 14. निर्मित, मोह. अशरफ अली, गंगोह,तलसील नुकाड, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। भूमि का क्षेत्रफलः 39.11 वर्ग गज	रु. 800000/– (रुपयेआठ लाख मात्र)	बोली राशि का 10% अर्थात् रु 80000/– (रुपये अस्सी हजार मात्र)	10.12.2019 1100 बजे– 1500 बजे **नीलामी की तिथि/समय** 9.1.2020 को 1100 बजे से 1300 बजे

ईएमडी/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः 03.1.2020 को 5.00 बजे अप. तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

1. सम्पत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास उपरोक्त तिथि एवं समय में किया जा सकता है।
2. बिक्री से सभी सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल बोली दस्तावेज/ प्रपत्र प्राधिकृत अधिकारी से यहाँ ऊपर वर्णित बैंक की शाखा में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान प्राप्त की जा सकती है।
3. बोलियां मुहरबंद लिफाफे जिसके ऊपर मोह. अशरफ अली, गंगोह, तहसील नुकाड़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक सम्पत्ति, शॉप नं 11,12,13 एवं 14 निर्मित की नीलामी के लिये बोली उल्लिखित हो, में ''शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि.'' के पक्ष मे देय, सहारनपुर में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी (बोली राशि के 10%) के साथ बैंक की ऊपर वर्णित शासा में 3.1.2020 के 5. बजे अप. तक जमा की जा सकती है। विविधत रूप से नहीं भरी गई तथा अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों को अवैध बोली माना जायेगा एवं तदनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
4. मुहरबंद बोलियों को 9.1.2020 को 11.00 बजे – 13.00 बजे तक सम्पत्ति के लिये 9.1.2020 को 14.00 बजे – 16.00 बजे में बैंक की उपरोक्त शाखा में इस समय उपस्थित रहने के इच्छुक बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर योग्य बोलीदाता को प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिये इन्टर–से बोली में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।
5. जमा की गई बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से ऊपर होगा तथा बोलीदाता रु 50,000/– के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को तत्काल या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि. के पक्ष में देय तथा सहारनपुर में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी तथा बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगी, ईएमडी अथवा 25% राशि का भुगतान, जैसा भी मामला हो बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी, यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का अनुपालन करने में विफल होते हैं अथवा कोई चूक करते हैं।
7. बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में ''बिक्री प्रमाणपत्र'' जारी किया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण चार्जेज, कान्वीयन्यस, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्चें का वहन क्रेता को ही करना होगा।
8. यह बैंक प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी प्राधिकरण से अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत स्वीकृत/एनओसी प्राप्त करने अथवा अन्य कोई बकाया देयताओं जैसे बकाया पानी/बिजली शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा अन्य चार्जेज, यदि कोई हो के लिये कोई उत्तरदायी नहीं लेता है।
9. सफल बोलीदाता को किसी विकास प्राधिकरण के लम्बित बकाये, यदि कोई हो/करों/नगर निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण/एजेन्सी के उपयोगिता बिलों तथा स्टाम्प शुल्क/बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क आदि सहित सभी खर्चें का वहन करना होगा।
10. प्राधिकृकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्तों को संशोधित करने का सम्प्रभू अधिकार प्राप्त है। अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी।
11. सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में बैंक को बैंक को छोड़कर बेची जा रहीं संपत्ति पर किसी प्रकार के अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी सन्तुष्टि के लिसे संपत्ति की स्वयं गणना कर लें। यह कंपनी उपरोक्त संपत्ति के फिटनेस से संदर्भ में कोई गारंटी नहीं देती है अथवा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अन्य किसी भी जानकारी के लिसे प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी अन्य किसी व्यक्ति के प्रति किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, संपत्ति कर अथवा अन्य किसी बकाय के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। एतद्द्वारा ऋणधारकों (कों)/मार्टगैजर (रों) को सूचित किया जाता है कि बिक्री के समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा वे बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां उपरोक्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक क्रेता/खरीदार को प्रस्तुत कर सकते हैं।
12. अचल संपत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, अधोहस्ताक्षरी यदि आवश्यक समझें अपनी सम्प्रभू इच्छा से इंटर–से बिडिंग की अनुमति दे सकते हैं।
13. बैंक ऐसी किसी भी देयता की जो सम्पत्ति पर देय हो, के लिये उत्तरदायी नहीं है जो बैंक की जानकारी में नहीं है।
14. सरफैसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6), एवं 9(1) के अंतर्गत एतद्द्वारा ऋणधारकों/मोर्टगैजरों/गारन्टरों को 30 दिनों की सांविधिक सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज तथा खर्चें के साथ उपरोक्त सम्पूर्ण राशिक का भुगतान कर अपनी देयताओं को निष्पादित करें अथवा उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी। यदि अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशनों के बीच कोई असमानता होती है तो अंग्रैजी समाचार–पत्र को क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पर तरजीह दी जाएगी तथा विसंगति दूर करने के लिये उसे निर्णायक कॉपी माना जाएगा। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक/गारन्टर कंपनी की बकाया देयता का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी रोक दी जाएगी। लेकिन, ऐसे मामले में सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार आगे के ब्याज तथा लागू होने वाले चार्जेज एवं उसकी वसूली तक बकाया तथा देय अनुषांगिक खर्चें, लागतों आदि की वसूली की जायेगी, अधिक विवरणों के लिये प्राधिकृत अधिकारी श्री गौरव जैन, सम्पर्क नं. 9927148885 से बैंक के उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क करें।

हस्ता./
स्थानः गंगोह तिथिः 03.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शाखा कार्यालयः डीपी–4 स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पीतमपुरा, ब्लॉक, दिल्ली–110088
फोन नं. 011-27317519 ईमेलः bo1710@pnb.co.in

कब्जा सूचना

नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) के प्रवर्तन के अधीन **पंजाब नेशनल बैंक**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार

मैसर्स कुक्कू एग्रो इंक, 4047, द्वितीय तल, नया बाजार, दिल्ली–110006 पर और निम्नलिखित कर्जदार/गारंटर्स 1. मैसर्स कुक्कू एग्रोइनक, उधारकर्ता 4047, द्वितीय तल, नया बाजार, दिल्ली –110006, 2. श्री अरुण कुमार गोयल पुत्र श्री शांति प्रकाश गोयल, पार्टनर/गारंटर जी–12, जवाहर नगर, कमला नगर, दिल्ली–110007, 3. श्रीमती हेमा अग्रवाल पत्नी श्री पवन कुमार अग्रवाल पार्टनर/बंधककर्ता/गारंटर, 213, भूतल, कल्याण विहार, दिल्ली–110009, 4. श्री चिराग गोयल पुत्र अरुण कुमार गोयल पार्टनर/गारंटर जी–12, जवाहर नगर, कमला नगर, दिल्ली–110007 (कर्जदार और गारंटर को संयुक्त रूप से कर्जदार कहा गया है) को एक मांग नोटिस दिनांक 20.09.2019 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 1,37,50,371.24 (रु. एक करोड सैतीस लाख पचास हजार तीन सौ इकहत्तर और पैसे चौबीस मात्र) दिनांक 30.07.2019 तक और दिनांक 01.07.2019 से अदायगी की तिथि तक उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **27.11.2019** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **पंजाब नेशनल बैंक, के प्रभार वास्ते राशि 1,37,50,371.24 (रु. एक करोड सैतीस लाख पचास हजार तीन सौ इकहत्तर और पैसे चौबीस मात्र) दिनांक 30.07.2019 तक और दिनांक 01.07.2019 से अदायगी की तिथि तक उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के संशोधित प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा, निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पतियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही आप बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चें के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते है। कृप्या ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चें के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विभोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 213 भूतल, प्लिथ एरिया 1024 वर्ग फीट, प्लॉट क्षेत्रफल 151.66 वर्ग गज, कल्याण विहार (कल्याण कॉप हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि.) दिल्ली – 110009 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती हेमा अग्रवाल पत्नी श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 212, दक्षिण में – प्लॉट नं. 214, पूरब में – सर्विस लेन, पश्चिम में – 45 फीट रोड

दिनांक : 27.11.2019, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

प्रवासी अपनी संस्कृति ना भूलें : आजाद

नई दिल्ली। विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन किराड़ी में किया गया। इससे पूर्व ऐसा ही कार्यक्रम बदरपुर, जैतपुर में आयोजित किया गया था। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति ने कहा कि आप अपनी भाषा और संस्कृति को कभी न भूलें। (जसं)

NOTICE REGARDING LOST CERTIFICATE(S) OF THE WATERBASE LIMITED

Registered Office: Ananthapuram Village, T.P Gudur Mandal Nellore, Andhra Pradesh-524344., PH: +91-9100018037, E-Mail: infowaterbaseindia.com Website: www.waterbaseindia.com, CIN: L05005AP1987PLC018436

M/s Marathon Money Market Ltd having registered office at 183, Cariappa Marg Sainik Farms New Delhi-110062 The registered holder of the under mention shares held in the above company give notice that the share certificate(s) in respect of the said shares have been lost and we have applied to the Company for issue of duplicate certificate(s). Any person having claim in respect of the said shares should lodge such claim with the company at its above referred address within 15 days from this date else the Company Will proceed to issue duplicate certificate(s)and no further claim will be entertained by the Company thereafter.

Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos	No. of shares
67577	98193	20404201-20404300	100

Place: New Delhi
Date : 01.12.2019
Sd/-
Marathon Money Market Ltd

पी.के. सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक का पताः 202, वर्धमान प्रीमियम माल, दीपाली चौक, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
सम्पर्कः 9310278000 एवं 9810378000, ईमेल आईडीः liquidator.pksalescompany@gmail.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना

दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट http://ncltauction.auctiontiger.in के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. ई–प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) द्वारा ई–नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	मंगलवार, 30.12.2019 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप.
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	27.12.2019 को 5.00 बजे सायं से पूर्व
निरीक्षण की तिथि एवं समय	5.12.2019 एवं 25.12.2019 को 12 बजे अप. से 5.00 बजे सायं तक। निरीक्षण के लिये सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम श्री राकेश भाटिया, सम्पर्क नं. 931027800, 9810378000 है।

लॉट नं.	विवरण	आरक्षित मूल्य (लाखों में)	ईएमडी (रु.) (लाखों में)
1.	सम्पत्ति का पताः जी 30 मंगलम पैराडाइज, प्लॉट नं. 8 मंगलम प्लेस, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, भू तल, कार्नर (सुपर एरियाः 2962 वर्ग फीट)	790.00	79.00

ईएमडी (अप्रतिदेय) का भुगतान 27.12.2019 को या उससे पूर्व ''पी के सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)'' की खाता, खाता नं. 5422000100135101 तथा आईएफएससी कोड KARB0000542 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा इच्छुक बोलीदाता को करना होगा। ई–नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई–नीलामी से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिये श्री तिलक मराठा (एमः 6351896834), tilak@auctiontiger.net या परिसमापक से उनके ई–मेल liquidator.pksalescompany@gmail.com पर सम्पर्क करें।

हस्ता./–
राकेश भाटिया
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 03.12.2019
मै. पी के सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के परिसमापक
आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608

ड्रीमलैण्ड रिएलटर प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

परिसमापक का पता : 202, वर्धमान प्रीमियम मॉल, दीपाली चौक, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034.
सम्पर्क : +91–9310278000 एवं 9810378000 ई–मेल आईडी : liquidator.dlrpl@gmail.com

ई–नीलामी विक्रय सूचना

ऋणशोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 एवं उसके तहत विनियमों के अधीन जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति का विक्रय वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा किया जायेगा।

नीलामी की तिथि एवं समय	मंगलवार, 31.12.2019 को 01.00 बजे अपराह्न से 02.00 बजे अपराह्न के बीच
ईएमडी जमा करने करने की अन्तिम तिथि	27.12.2019 को 05.00 बजे अपराह्न से पूर्व
निरीक्षण की तिथि तथा समय	05.12.2019 से 25.12.2019 तक 12.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न के बीच। निरीक्षण हेतु सम्पर्क किया जाने वाला व्यक्ति है श्री राकेश भाटिया, सम्पर्क नं. 9810378000, 9310278000

लॉट सं.	विवरण	आरक्षित मूल्य (लाख में)	ज.ध.रा. (रु.) (लाख में)
1	सम्पत्ति का पता : कार्यालय सं. 103–107 एफएफ मंगलम पैराडाइज, प्लॉट सं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर 3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 (एकल इकाई) (सुपर एरिया 1810 वर्ग फीट)	210.00	21.00
2	सम्पत्ति का पता : कार्यालय सं. 103–104 एफएफ मंगलम पैराडाइज, प्लॉट सं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर 3, नई दिल्ली–110085 का खण्ड (सुपर एरिया 724 वर्ग फीट)	88.00	8.80
3	सम्पत्ति का पता : कार्यालय सं. 105–106 एफएफ मंगलम पैराडाइज, प्लॉट सं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर 3, नई दिल्ली–110085 का खण्ड (सुपर एरिया 724 वर्ग फीट)	88.00	8.80
4	सम्पत्ति का पता : कार्यालय सं. 107 एफएफ मंगलम पैराडाइज, प्लॉट सं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर 3, नई दिल्ली–110085 का खण्ड (सुपर एरिया 362 वर्ग फीट)	44.00	4.40

इच्छुक संविदाकारों द्वारा ईएमडी (प्रतिदेय) ''ड्रीमलैण्ड रिएलटर प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)'' के खाते में जिसका खाता सं. 5422000100135201 और आईएफएससी कोड KARB0000542 है, 27.12.2019 को या इससे पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस के रूप में जमा करना होगा। ई–नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई–नीलामी से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : श्री तिलक मराठा (मो. : 6351896834) से tilak@auctiontiger.net पर अथवा परिसमापक से उसके ई–मेल liquidator.dlrpl@gmail.com पर सम्पर्क करें।

ह./–
राकेश भाटिया
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 03.12.2019
मैसर्स ड्रीमलैण्ड रिएलटर प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक (परिसमापनाधीन)
आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608

SRM INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (Deemed to be University u/s 3 of UGC Act, 1956)
www.srmist.edu.in
KATTANKULATHUR | RAMAPURAM
VADAPALANI | DELHI - NCR, GHAZIABAD

SRM UNIVERSITY DELHI-NCR, SONEPAT
www.srmuniversity.ac.in
DELHI-NCR SONEPAT, HARYANA

SRM UNIVERSITY Sikkim
www.srmus.ac.in
GANGTOK, SIKKIM

SRM UNIVERSITY AP Andhra Pradesh
www.srmap.edu.in
AMARAVATI, AP

LAUNCH INTO A BRIGHT FUTURE

SRMJEEE 2020
SRM Joint Entrance Examination - B.Tech Admissions Open
12th April - 20th April 2020 [Computer based test]
To apply online and other details visit www.srmist.edu.in
For eligibility and fee details, visit the respective websites
Top 3000 SRMJEEE rank holders will get scholarship
LAST DATE FOR SUBMITTING ONLINE APPLICATION: 30th MARCH 2020
ONLINE APPLICATION FEE: ₹1100/-

LEAD WITH SRMIST
Multicultural Learning Environment
Students from all States of India
International Students from 64 Countries
165+ MOUs with 33 countries
300+ students from SRM go to our Semester Abroad Programme (SAP) every year
SRM Innovation & Incubation Centre (SIIC) funded by National Science and Technology Entrepreneurship Development, DST, Govt. of India
2 years + 2 years transfer programmes with our global partners

Admissions Helpline: 044 2745 5510 ; 044 4743 7500
Email: admissions.india@srmist.edu.in
SRM University Sikkim offers only Science and Humanities
SRMUniversityOfficial SRM_Univ srmuniversityofficial SRM IST Chennai

NUMBERS SPEAK FOR THEMSELVES
7301 offers
1671 Super Dream & Dream offers
The success story of SRM 2020 batch placement continues...
• TCS, Infosys, Cognizant & Wipro make the highest number of offers Pan India
• IDEAL (Interdisciplinary Experiential Active Learning) equips you with Dual Specialisation • World-class faculty and Infrastructure • International Exposure
IDEAL INTER DISCIPLINARY EXPERIENTIAL ACTIVE LEARNING
NATIONAL RECOGNITION - SRMIST
• NAAC "A++" grade • Category I University by UGC
• Ranked 32nd under University Category by NIRF • 12B status by UGC
• ARIIA Ranked Third under the Category of Private or Self financed Institutions
GLOBAL RECOGNITION - SRMIST
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE
Quacquarelli Symonds (QS) also awarded SRM 5 stars for Teaching, Employability and Inclusiveness
• QS I-GUAGE Diamond rated Institute
Offline application forms can be obtained:
• From the designated branches of Post Offices on cash payment of ₹1100 (list available on website)
• From SRM campuses by handing over a DD for ₹1100 in favour of SRMIST payable at Chennai

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	23.3 डि.से.	23.3 डि.से.	23.0 डि.से.	23.5 डि.से.
न्यूनतम	8.0 डि.से.	8.0 डि.से.	8.0 डि.से.	8.0 डि.से.

कोहरा हुआ तो रात में नहीं चलेंगी यूपी रोडवेज बसें

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 दिसंबर।

- यात्रियों को डिपो पर ठहराकर अगली सुबह बस से रवाना किया जाएगा
- खतरे के चलते परिवहन मुख्यालय ने जारी किए दिशानिर्देश

कोहरे का खतरा बढ़ने लगा है। पिछले साल कोहरे की वजह से एक्सप्रेस-वे पर हुए दर्दनाक हादसों के चलते परिवहन निगम ने रोडवेज बसों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। कोहरे के दौरान बसों के संचालन पर निगरानी रखने के लिए रात्रि सेवा सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी, जो कोहरे को देखते हुए बस को रवाना करने या नहीं करने का निर्णय लेगा। यात्रियों को डिपो में ठहराने का प्रबंध सुपरवाइज स्तर से किया जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार रूट के चालक को रास्ते में पड़ने वाले ब्लैक स्पॉट, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, मार्ग बदलाव (डायवर्जन) आदि के बारे में पहले से जानकारी दी जाएगी। चालक को तभी बस का संचालन दिया जाएगा, जब उसके पास अपने रूट की पूरी जानकारी होगी। खासतौर पर रात्रि सेवा के चालकों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। कोहरे के दौरान रात्रि सेवा में सुपरवाइजर को तैनात कर स्थिति को देखते हुए बस को रवाना करने या रोकने का फैसला लिया जाएगा। यदि कोहरा अधिक हुआ या आगे होने आशंका होगी, तो बस को देर रात रवाना नहीं किया जाएगा। बस को डिपो पर ही रोक दिया जाएगा। बस यात्रियों के डिपो में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। कोहरा घटने के बाद सुबह बस को रवाना किया जाएगा। इसके अलावा बसों में चालू हालत में वाइपर, यात्रियों की सीट पर खिड़की पर रबर और शीशा दुरुस्त कराने, रिफ्लेक्टिव टेप लगी होने, बसों में ऑल वेदर बल्ब लगे होने को भी अनिवार्य किया गया है।

नोएडा डिपो के एआरएम अनुराग यादव ने बताया कि मुख्यालय से जारी हुए दिशानिर्देशों के आधार पर बसों के शीशे, लाइट, वाइपर आदि को दुरुस्त कराया जा रहा है। रात्रिकालीन सेवा के चालक को उनके रास्ते की पूरी जानकारी होने के बाद ही ड्यूटी दी जाएगी।

प्याज की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

बढ़ी हुई प्याज की कीमत के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया। विरोध कर रहे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी को सिविल लान्इस में आइपी कॉलेज के पास ही रोक लिया और सुभाष चोपड़ा, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा समेत कई नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। हालांकि, बाद में सभी को छोड़ दिया गया। इस दौरान नेता और कार्यकर्ताओं ने प्याज के माला पहन कर विरोध जताया।

प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नुराकुश्ती के बीच दिल्ली की आम जनता परेशान है। प्याज की कीमत दिनों-दिन बढ़ रही है। एक सप्ताह पहले 80-90 रुपए किलो प्याज मिल रहा था, जो कि अब 100 रुपए के पार हो गया है। वहीं, दूसरी ओर गोदाम में 23 हजार टन प्याज सड़ रहा है। चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जमाखोरों से मिली हुई है, जिसके चलते प्याज के दाम बढ़े है। वहीं, दूसरी ओर भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारें केवल बयानबाजी में लगी हैं।

वहीं, मुकेश शर्मा ने दोनो सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि गरीब आदमी आज सब्जी खाना तो दूर की बात है, सूखी रोटी सब्जी के लिए तरस रहा है। प्याज के अलावा अन्य सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। लहसुन 300 रुपए प्रतिकिलो के पार पहुंच गया है। इससे साफ पता चलता है कि दोनो सरकारें गरीब आदमी की दुश्मन है। दिल्ली सरकार का सस्ता प्याज बेचने का ढकौसला कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 72 घंटे में प्याज के दाम कम नही हुए तो प्रदेश कांग्रेस केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का घेराव करेगी।

मध्य प्रदेश से दिल्ली लाकर हथियार बेचने वाला गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

मध्य प्रदेश से दिल्ली में टूरिस्ट बैग में हथियारों की तस्करी तकने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के पास से सात पिस्तौल और छह कारतूस बरामद हुए हैं। कम कीमत पर हथियार खरीद महंगे में बेच कमाते थे मोटा मुनाफा। तस्कर नजफगढ़ के नंदू गिरोह का हथियार सप्लाई करता था। द्वारका जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने इस गिरोह का खुलासा किया है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अलफोंस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए हथियार तस्कर का नाम हरीश है। वह खरखरी रोड दिल्ली का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस टीम ने सात पिस्तौल और आधा दर्जन कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि एक बार फिर तस्कर हथियार की खेप लेकर दिल्ली में आने वाला है, तो पुलिस टीम ने जाफरपुर कला इलाके में घात लगाकर तस्कर को पकड़ लिया।

पूछताछ में उसने बताया कि वह पुलिस की नजर से बचने के लिए टूरिस्ट बैग में हथियार की खेप लाता था। मध्य प्रदेश से दिल्ली टूरिस्ट बनकर आता था। जिससे किसी को उसके उपर संदेह ना हो। उसने बताया कि मध्यप्रदेश से कम कीमत पर हथियार खरीदकर दिल्ली के बदमाशों को मोटी कीमत पर बेचा करता था।

साथ ही यह भी बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार साथ रखता था। हरीश कुमार जाफरपुर कला इलाके का घोषित बदमाश भी है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, लूटपाट आदि धाराओं के कई मामले चल रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि नजफगढ़ और आसपास के इलाकों में सक्रिय बदमाशों तक हथियार पहुंचने में काफी कमी आएगी।

प्रदर्शन देश के विभिन्न शहरों में हो रहीं बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करतीं छात्राएं। फोटो : अरुष चोपड़ा

निर्भया कांडः उपराज्यपाल ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निर्भया बलात्कार एवं हत्याकांड के दोषियों में से एक की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। पीड़िता की मां ने 'न्याय के लिए कभी खत्म न होने वाले इंतजार' को लेकर नाराजगी जाहिर की।

दिल्ली सरकार द्वारा दोषियों में से एक विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश करने के एक दिन बाद उपराज्यपाल ने यह सिफारिश की है। विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविदं के समक्ष दया याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजी जाएंगी जो मामले पर अंतिम फैसला लेंगे।विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज, हमें दया याचिका (विनय शर्मा की) को खारिज करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और आज हम अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजेंगे।

गावी की टीम ने गाजियाबाद-नोएडा के स्वास्थ्य केंद्रों की जांच की

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 दिसंबर।

ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन (गावी) की टीम ने सोमवार को नोएडा और गाजियाबाद के स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। टीम ने गाजियाबाद के सिहानी गेट में झुग्गी- झोपड़ियों में टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। इसके बाद रजापुर ब्लॉक के भौदापुर गांव के ईंट-भट्टे पर जाकर दो वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण देखा और पाया कि किस प्रकार टीकाकरणकर्मी दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं।

वहीं, नोएडा में टीम ने सेक्टर-30 स्थित चाइल्ड पीजीआइ सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर टीकाकरण की आपूर्ति की जांच की।

कोर सेक्टर में घट रही आइआइटी विद्यार्थियों की दिलचस्पी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली में प्लेसमेंट सत्र की शुरुआत हुई। इसके तहत पहले ही दिन विद्यार्थियों को नौकरी के 244 अवसर मिले जिसमें से चार अंतरराष्ट्रीय थे। पिछले साल पहले दिन नौकरी के 232 अवसर विद्यार्थियों को मिले थे। इस साल कोर सेक्टर (मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कैमिकल) में पिछले साल की तुलना में कम विद्यार्थियों ने दिलचस्पी दिखाई है।

आइआइटी दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल प्लेसमेंट के पहले दिन विद्यार्थियों को 244 अवसर मिले। इनमें से 42 परामर्श क्षेत्र में, 86 कोर सेक्टर में, 21 वित्त क्षेत्र में, 81 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और 14 नौकरी के अवसर अन्य क्षेत्रों से मिले। जबकि अगर 2018 में पहले दिन हुए प्लेसमेंट की बात करें तो 45 परामर्श क्षेत्र में, 92 कोर सेक्टर में, 16 वित्त क्षेत्र में, 64 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और 15 अन्य क्षेत्र में नौकरी के अवसर उपलब्ध थे।

अगर दोनों सालों की तुलना करें तो 2018 की तुलना में 2019 में 12 अधिक अवसर आइआइटी दिल्ली के विद्यार्थियों को उपलब्ध हुए। सूचना प्रौद्योगिकी में जहां पिछले साल के मुकाबले इस साल 17 अवसरों की बढ़ोतरी हुई है जबकि कोर सेक्टर में छह अवसरों की कमी है। परामर्श क्षेत्र में तीन और वित्त क्षेत्र में पांच अवसरों वृद्धि हुई। जानकारों का मानना है कि मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) जैसे क्षेत्रों के बढ़ने से कोर सेक्टर में विद्यार्थियों की दिलचस्पी धीरे-धीरे कम हो रही है।

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव की ओर से कहा गया कि प्लेसमेंट के पहले दिन इतने अच्छी शुरुआत से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि आइआइटी दिल्ली के विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसर से अधिक राष्ट्रीय अवसरों को महत्त्व दे रहा है।

मालिकों की पीठ पीछे घर से लाखों की चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-दो में एक सेना के अधिकारी के घर से करीब 10 लाख रुपए नकदी और लाखों रुपए के आभूषण की चोरी का मामला सामने आया है। जब अधिकारी मेरठ कैंट से शनिवार को घर लौटा और चोरी का पता चला तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। भारतीय सेना में कैप्टन विमल जैन ने पुलिस को बताया कि वह बीती 25 नवंबर को बेटे मेजर पीयूष जैन से मिलने के लिए मेरठ कैंट गए थे। फिलहाल सीआर पार्क थाना पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

जानकारी के मुताबिक, विमल जैन अपनी पत्नी के साथ ग्रेटर कैलाश-दो के मकान नंबर ई-348 में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 25 नंवबर को वह अपनी पत्नी के साथ बेटे से मिलने मेरठ कैंट गए थे। 30 नवंबर की शाम करीब पौने आठ बजे जब वे अपने घर पहुंचे तो पाया कि मुख्य गेट का दरवाजा खुला हुआ है। इसके साथ ही खिड़की के अलावा अन्य दरवाजे भी टूटे पड़े थे। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर की सभी अलमारियां टूटी पड़ी थीं। उनके घर से करीब 10 लाख रुपए नकदी और लाखों के आभूषण गायब हैं।

छानबीन के आधार पर पुलिस मान कर चल रही है कि चोरों ने रैकी कर घटना को अंजाम दिया होगा। पीड़ित ने बताया कि चोर उनके घर में पिछला दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए होगें। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर कई घंटे तक अंदर रहे होंगे। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश जारी है।

हथियार खरीदने आए तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

- बदमाश अपने साथियों के साथ हथियार लेने आया था दिल्ली
- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अजमेर, राजस्थान के एक कुख्यात गैंगेस्टर को उसके दो गुर्गे के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों को पुलिस ने धौला कुआं के पास से उस वक्त गिरफ्तार किया, जब ये बदमाश अवैध हथियार का खेप लेने के लिए आए थे। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान गैंगेस्टर वरुण चौधरी (38), जीत राम चौधरी (23) और सोहन लाल (30) के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर छह पिस्तौल और 57 कारतूस जब्त किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के गैंगेस्टर की हत्या की योजना बना रहे थे। इसी योजना के तहत वह दिल्ली में हथियार लेने के लिए आए थे। इसी बीच इसकी भनक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लग गई, जिसके बाद टीम ने 30 नवंबर को इन सभी को गिरफ्तार कर लिया।

स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि अजमेर के बादमाश धौला कुआं के पास हथियार लेने आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम गठित की गई। टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर बदमाशों का इंतजार करने लगी। इसी बीच राजस्थान में पंजीकृत नंबर की एक पर टीम को शक हुआ। टीम ने देखा कि कार चालक ने कार रोक दी और उससे तीन लोग बाहर निकले और इंतजार करने लगे। इसी बीच उन्हें शक हुआ कि कोई उन पर नजरें रख रहा है। टीम ने तीनों को पकड़ने की कोशिश की तो वे फरार होने लगे। पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में तीनों की पहचान वरुण चौधरी, जीत राम चौधरी और सोहन लाल के तौर पर हुई।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान वरुण चौधरी ने बताया कि वह अजमेर का गैंगेस्टर धमेंद्र चौधरी का भतीजा है। अपने पिता की मौत के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। वह अपने गुर्गों के साथ मिल कर अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के बदमाश की हत्या की तैयारी कर रहा था। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है।

ऐक्सिस बैंक **अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के बिक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहाँ है"** और **"जो कुछ भी है के आधार पर"** बेचा जाएगा **श्री बृजेश कुमार सिंह (ऋणी)** एवं **श्रीमती कुसुम देवी (सह-ऋणी)** से प्रतिभूत लेनदार की **रूपये 15,31,892.00** देय दिनांक **16.08.2018** की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 27.12.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे (निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 26.12.2019 को अपरान्ह 5:00 बजे तक)** को बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य **6,75,810/- रूपये** होगा और अग्रिम धनराशि **67,581/- रूपये** होगी।

खाता संख्या	स्थान/ अचल सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति पर बैंक की जानकारी में कोई भार
PHR008602046581	स्थित प्लाट नं0 72बी खसरा नं0-681, मौजा रावल बांगर, श्री गोकुल धाम कालोनी के अन्दर, तहसील महावन एवं जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश-281006, जोकि **बृजेश कुमार सिंह** के नाम **क्षेत्रफल-167.22 वर्ग मी0** **चौहद्दी : पूर्व** : सड़क, **पश्चिमः** अन्य की सम्पत्ति, **उत्तरः** प्लाट नं0 71, **दक्षिणः** प्लाट नं0 73	नहीं

बिक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये वेबसाइट **https://www.axisbank.com/auction-notices/** पर क्लिक करें।

दिनांक : 03.12.2019, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

नए बजट में निगम को मजबूत करने की कोई योजना नहीं : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

उत्तरी दिल्ली के बजट को कांग्रेस ने दिशाहीन बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि निगम की स्थिति आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली है। निगम को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए बजट में कोई सुझाव व योजना का जिक्र नहीं है। जनता पर निगम का कर थोपने को कांग्रेस किसी भी रूप में मंजूर नहीं होगी। उत्तरी नगर निगम के बजट प्रस्ताव पर कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने सोमवार को यह बात कही।

गोयल ने कहा कि इतना ही नहीं बजट में संपत्तिकर की दरों में वृद्धि और नया सुधार कर तथा वृत्ति, व्यवसाय, आजीविका, नियोजन कर जनता पर थोपने के प्रस्ताव रखकर निगम आयुक्त ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस संपत्तिकर दरों में वृद्धि व नए कर लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती है और इन्हें वापिस लेने की मांग करती है। गोयल ने साल 2019-2020 के संशोधित बजट अनुमान तथा वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों पर चर्चा करते हुए कहा कि बजट तैयार करने का उद्देश्य यह होता है कि आय के सटीक अनुमान लगा उसके अनुसार क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था एवं विकास कार्यो की योजना बनाई जा सके लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तरी निगम के आस्तित्व में आने के बाद से अब तक के पेश किए गए बजट में निगम की आय और व्यय के लक्ष्य का सही आकलन करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

गोयल ने अफसोस जताते हुए कहा निगम के लिए राजस्व अर्जित करने वाला विज्ञापन विभाग एक महत्त्वपूर्ण विभाग है किंतु बड़े दुःख की बात है कि यह विभाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा। लाभकारी परियोजना विभाग भी केवल घाटे का सौदा बनकर रह गया है इसने जितनी भी परियोजनाएं शुरू की लगभग सभी विफल रही हैं।

खबरों में शहर

अतुल्य अटल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 76 हुए सम्मानित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

ज्ञान फाउंडेशन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में अतुल्य अटल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन अशोक विहार फेस दो में किया। 16 से 24 वर्ष आयु के 300 परीक्षार्थी आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में 76 युवक-युवतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि यदि जीवन में जोखिम, संघर्ष, कष्ट आदि ना हो तो जीवन नीरस हो जाता है। विद्यार्थी जीवन मे हम संकटों से कैसे निपटें सहज भाव से जीवन कैसे जिए यह कला सीखते हैं। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा नजफगढ़ जिला के सहप्रभारी सतीश गर्ग ने कहा कि जिस प्रकार सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है उसी प्रकार विद्यार्थी का जीवन मेहनत की आग में तप कर ही निखरता है। ज्ञान पब्लिकेशन के निदेशक बीपी गर्ग ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष रोशन कंसल, अनिल यादव, संदीप चौटाला, प्रवीण सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहें।

रक्तदान शिविर का आयोजन, 150 इकाई रक्त एकत्रित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

शहीद भगत सिंह सेवा दल (एसबीएस फाउंडेशन) ने अपने 150वे सस्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर पूर्वी दिल्ली स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कड़कड़डूमा में लगाया गया। संस्था के संस्थापक एवं पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी की अध्यक्षता में इस कैंप का सफल आयोजन हुआ। जितेंद्र सिंह शंटी स्वयं 100 बार रक्तदान कर चुके हैं। इस रक्तदान शिविर में 150 से ज्यादा यूनिट रक्तदान किया गया। इस रक्त को जीटीबी अस्पताल एवं हेडगेवार अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच उपरांत स्टोर किया। शिविर में बहुत से पहली बार रक्तदान करने रक्तदाता भी दिखे। महिलाओं ने भी भारी संख्या में रक्तदान किया।

छात्राओं के फ्लैट में जबरन घुसा विदेशी छात्र

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 दिसंबर।

कासा ग्रांड अर्थकॉन सोसायटी में रहने वाली छात्राओं के फ्लैट में रविवार देर रात अफ्रीकी मूल का एक युवक जबरन घुस गया और अभद्रता करने लगा। छात्राओं के शोर मचाने पर मदद के लिए पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने विरोध किया, तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर दी। इसके अलावा सोसायटी में रहने वाले एक युवक के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। शोर-शराबा होने पर सोसायटी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी विदेशी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कोतवाली में भी जमकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के सामने गाली-ग्लौच करता रहा। थाना बीटा टू पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक एक निजी विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है।

'लड़कियों के प्रति गलत भावना रखने वालों में आदर्शों की कमी'

फरीदाबाद, 2 दिसंबर (जनसत्ता)।

महिला आयोग की सदस्य रेनु भाटिया ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बारह वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत करने वाले को फांसी देने की सजा का प्रावधान किया हुआ है। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करके समाज में ऐसी घिनौनी और शर्मनाक घटनाओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेगी। भाटिया ने कहा कि बेटा-बेटी में कोई फर्क नही है। जो युवा लडकियों के प्रति गलत सोच और भावना से घिनौनी और शर्मनाक घटना को अंजाम देते हैं, उनमें कही न कही सामाजिक सरोकारों और आदर्शों की कमी होती है।

छापे बाद समूह ने 3 हजार करोड़ रुपए के कालेधन की बात स्वीकारी

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रीयल एस्टेट समूह ने 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय की बात स्वीकार की है। आयकर विभाग के हाल के छापे के बाद समूह ने यह बात स्वीकार की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि सीबीडीटी ने कंपनी की पहचान नहीं बताई। वहीं आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि यह ओरिएंटल इंडिया ग्रुप है। बयान के अनुसार पिछले सप्ताह समूह के 25 से अधिक परिसरों की तलाशी और जांच की गई।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालयः दीक्षांत समारोह 2019, विश्वविद्यालय परिसर, सेक्टर-16 सी, द्वारका, सुबह 11 बजे।

www.readwhere.com

‘सरकार आलोचना सुनती है, कदम भी उठाती है’

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि यह कहना गलत है कि नरेंद्र मोदी सरकार आलोचना नहीं सुनती है। कॉर्पोरेट कर में कटौती से जुड़े संशोधन वाले ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2019’ पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार आलोचना सुनती है और सकारात्मक ढंग से जवाब देती है तथा कदम भी उठाती है।

मंत्री ने एक आर्थिक समाचार पत्र के कार्यक्रम में उद्योगपति राहुल बजाज के ‘डर का माहौल’ वाले बयान का हवाला देते हुए कहा कि उस जगह गृह मंत्री (अमित शाह) ने पूरा जवाब दिया और जब भी आलोचना होती है, तो यह सरकार सुनती है और जवाब देती है।

सवाल पूछकर भाग जाना कुछ लोगों के डीएनए में है : वित्त मंत्री

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में तो कुछ लोगों ने सबसे खराब वित्त मंत्री कह दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मंत्री ने कहा कि यह सरकार और प्रधानमंत्री आलोचनाओं को सुनते हैं और सकारात्मक ढंग से जवाब देते हैं।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सवाल पूछकर भाग जाना कुछ लोगों के डीएनए में है, लेकिन हमारी पार्टी (भाजपा) में ऐसा नहीं है।

उद्योग जगत राष्ट्रविरोधी या सरकार विरोधी नहीं : किरन मजूमदार शॉ

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

बायोकॉन की चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक किरन मजूमदार शॉ ने सोमवार को कहा कि भारतीय उद्योग जगत ना तो राष्ट्रविरोधी है और ना ही सरकार विरोधी। शॉ ने उद्योगपति राहुल बजाज के उस कथन का भी समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्योग जगत में सरकार की आलोचना करने को लेकर डर का माहौल है।

इससे पहले शॉ ने वित मंत्री की उस टिप्पणी का विरोध किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी की निजी सोच को फैलाने के बजाय बेहतर यही होगा कि जवाब मांगा जाए। इसके जवाब में शॉ ने कहा था कि सरकार भारतीय उद्योग जगत को ‘अछूत’ समझती है और आर्थिक हालात को लेकर कोई आलोचना नहीं सुनना चाहती।

शॉ ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘मैडम, हम ना तो राष्ट्र-विरोधी हैं और ना ही सरकार विरोधी। हम आपको दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश को शीर्ष पर लाने में सफल होते देखना चाहते हैं।

कराधान विधि संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा ने सोमवार को कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें घरेलू कंपनियों की कॉर्पोरेट कर की दर में कमी के माध्यम से सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।

बीएसएनएल की स्थिति के लिए पूर्व की संप्रग सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार इस कंपनी को मजबूत बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है।

निर्भया कोष के इस्तेमाल की जानकारी दें केंद्र-राज्य : आयोग

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

यौन उत्पीड़न की ‘बढ़ती घटनाओं’ पर गंभीर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को केंद्र और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। आयोग ने ऐसे मामलों से निपटने के मानक तौर-तरीकों और निर्भया फंड के इस्तेमाल के बारे में जानकारी मांगी।

आयोग ने पाया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसके पास लैंगिक समानता की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी आज ‘महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित माहौल’ के लिए आलोचना की जा रही है।

एनएचआरसी ने एक बयान में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई और इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट पर खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया।

आरएसएस कार्यकर्ता को गोली मारी

कोलकाता, 2 दिसंबर (भाषा)। उत्तर-पश्चिम बंगाल के गार्डेन रीच इलाके में सोमवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यकर्ता को गोली मारने की घटना सामने आई है।

SICOM LIMITED

पंजीकत पता : सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4, गुरु हरगोविन्दजी रोड, (अन्धेरी लिंक रोड), चकला, अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई-400 093 **दूरभाष सं.**: (022-)66572700 **वेबसाइट: www.sicomindia.com**

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स यूनिटेक लि. (कर्जदार) तथा जमानतियों से साइकॉम के बकायों की वसूली हेतु ‘‘जहाँ है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी वहीं है तथा आश्रय रहित आधार पर’’ स्विस चैलेंज विधि से सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत साइकॉम लि. (साइकॉम) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जाकृत निम्नलिखित बंधक सम्पत्ति के विक्रय हेतु इच्छुक पक्षों से 03 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अपराह्न मुम्बई में साइकॉम के पंजीकृत कार्यालय पर प्रस्ताव/संविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं।

यह विक्रय तुरन्त तैयार वर्तमान प्रस्ताव के आधार पर स्विच चैलेंज विधि पर आधारित है जिसे अपने प्रथम इनक्रा के अधिकार के सन्दर्भ में उच्चतम संविदा के मिलान का अधिकार होगा। सम्पत्ति को खरीदने का इच्छुक किसी अन्य क्रेता द्वारा उच्चतर राशि जिसे मूल प्रस्तावक द्वारा मिलान किया जायेगा और मूल प्रस्ताव के मिलान में असफल होने पर सम्पत्ति का का विक्रय ऐसे संविदाकार को किया जायेगा जिसने सार्वजनिक नीलामी के दौरान उच्चतम संविदा प्रस्ताव दिया हो।

कर्जदार एवं जमानती का नाम	वसूली जाने वाली बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि तथा समय
मैसर्स यूनिटेक लि. श्री अजय चन्द्रा एवं श्री संजय चन्द्रा	31 अक्टूबर, 2019 तक रु. 59.93 करोड़	खेवट सं. 62, खाता सं. 92, मुस्ताइल सं. 7, किला सं. 3/2 (3-17) पर स्थित 4.78 एकड़ माप की लाइसेंसशुदा भूमि पर एकमात्र प्रथम प्रभार (डीटीसीपी, चण्डीगढ़ द्वारा अनुमोदित प्लॉटेड कॉलोनी में 200 वर्ग मीटर के प्रत्येक 31 प्लॉट) जो 3 बीघा 17 बिस्वा तथा किला सं. 4(3-16) से निर्मित 3 बीघा 16 बिस्वा से निर्मित है, ग्राम तिकड़ी, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा के राजस्व सम्पदा में 7 बीघा 13 बिस्वा, सेक्टर 48 का कुल क्षेत्रफल	रु. 27.00 करोड़	रु. 2.70 करोड़	13 दिसम्बर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक	03 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अपराह्न साइकॉम कार्यालय मुम्बई में।

नीलामी के नियम एवं शर्तें :

1. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों/प्रस्तावकों को मुम्बई में देय साइकॉम लिमिटेड के पक्ष में अनुसूचित बैंक से आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा रु. 2.70 करोड़ की जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.) जमा करनी होगी। अपेक्षित ज.ध.रा. तथा नियम एवं शर्तों की स्वीकृत एवं हस्ताक्षरित प्रति संलग्न के बिना प्रस्ताव अथवा यहाँ निर्धारित उपर्युक्त तिथि के पश्चात प्रस्तावों विचार नहीं किया जायेगा/अवैध निविदाएँ माना जायेगा, और तदनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।
2. नीलामी विक्र उपर्युक्त सम्पत्ति के **स्विस चैलेंज विधि के नियम एवं शर्तों तथा विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तों** का विषय है, जिसकी एक अलग से प्रति साइकॉम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय से अथवा साइकॉम की आधिकारिक वेबसाइट (www.sicomindia.com) से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद भी यदि संविदाकार को स्विस चैलेंज विधि के नियम एवं शर्तों तथा विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तों की प्रतियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो यह माना जायेगा कि संविदाकार ने इसे प्राप्त कर लिया है, पढ़ लिया है, परीक्षण कर लिया है तथा स्वीकार कर लिया है।
3. **प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय : 03 जनवरी, 2020 को 1.00 बजे अपराह्न तक साइकॉम के पंजीकृत कार्यालय, मुम्बई पर।**
4. साइकॉम को बिना कोई कारण बताए संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा सार्वजनिक नीलामी को निरस्त/आस्थगित करने का अधिकार है।
5. अधिकृत प्राधिकारी (एओ) के पूर्ण ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। संविदाकार किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, करों अथवा अन्य बकायों सहित किन्तु सीमित नहीं, स्वयं को प्रत्येक प्रकार से सन्तुष्ट कर लें। संविदाकार को पुनः कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी निजी जाँच-पड़ताल कर लेने की सलाह दी जाती है। अधिकृत प्राधिकारी विक्रय के तहत रखी कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी के किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, ऋण भार, सम्पत्ति कर अथवा किसी अन्य बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अद्यतन तिथि तक समस्त विधिक दायित्वों/करों/रखरखाव, शुल्क/विद्युत/पानी के प्रभारों आदि तथा भावी बकाये संविदाकार(रों) द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे और इसका वहन सफल संविदाकार द्वारा किया जायेगा। साइकॉम अथवा अधिकत प्राधिकारी इससे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा।

विक्रय के अधिक विवरण तथा नियम एवं शर्तों के लिए कृपया सम्पर्क करें

श्री राजेन्द्र भोसले	दूरभाष : (022)-66572724, मोबाइल : 9833546349	ई-मेल : rbhosale@sicominida.com
श्री प्रांजिल अग्रवाल	दूरभाष : (022)-66572778, मोबाइल : 9594883968	ई-मेल : pagrawal@sicominida.com
श्री संजय कुमार	दूरभाष : (011)-23736738, मोबाइल : 986802060	ई-मेल : skumar@sicominida.com

कर्जदार/जमानतियों के लिए सूचना

यह उपर्युक्त बकायों तथा मासिक बकायों सहित ब्याज, लागतों एवं प्रभारों आदि को नीलामी विक्रय की तिथि तक अथवा इससे पूर्व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत उपर्युक्त कथित खाते में कर्जदार/जमानती के लिए सूचना भी है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति का विक्रय उपर्युक्त तिथि तथा समय पर किया जायेगा और शेष बकायों, यदि कोई हो, को ब्याज तथा लागत सहित आपसे वसूल किया जायेगा। आप निर्धारित नियम एवं शर्तों पर सार्वजनिक नीलामी सूचना में निर्दिष्ट प्रस्ताव तथा जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.) सहित कथित नीलामी में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।

तिथि : 03 दिसम्बर, 2019
स्थान : मुम्बई

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी, साइकॉम लिमिटेड

कार्पोरेशन बैंक — सहारनपुर

मांग नोटिस / डिमांड नोटिस

सेवा में,
ऋणकर्ता:-

01. मैसर्स मंसूर अहमद अर्थ मूवर एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रोपराइटर -श्री मंसूर अहमद, पहली मंजिल, 16 एफएफ, पार्शवनाथ प्लाजा, सहारनपुर - 247001
02. श्री मंसूर अहमद पुत्र श्री हाजी अबुल हसन, मकान खसरा नंबर 53 एम और 54 एम, वाके घारा खान आलमपुरा, जनक नगर रोड मेन देहरादून रोड के पास, शक्तिपुरम, सहारनपुर - 247001

गारंटर:

03. श्री साबिर पुत्र श्री जहीर, निवासी 09, बुधा खेड़ा,तहसील- नाकुर, जिला- सहारनपुर - यूपी - 247001

प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त **सहारनपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आपके लिए **मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांकित 19.10.2019** जारी किये गये है तथा जो आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गये है, जिसमें आपको हमारे पास आपके ऋण खाता में बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सामग्री को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपको प्राप्त साख सुविधाओं/ऋण सुविधाओं को **दिनांक 30.09.2019** को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपने ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया था तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है।

अचल संपत्तिः **अनुसूची - एः**

निर्मित मकान का भाग खुला प्लॉट का क्षेत्रफल 72.22 वर्ग गज बाहर का क्षेत्रफल 144.47 वर्ग गज यानी, 120.76 वर्ग मीटर। ख. नंबर 53 और 54, खेवाट नंबर 2, महल अमीर अहमद, स्थित मौह. खानलामपुरा, नई बस्ती, दर आबादी शक्ति पुरम कॉलोनी, सहारनपुर। संपत्तिश्री मंसूर अहमद के नाम। सीमायें:-पूर्वः श्रीमती निगात का मकान पश्चिमः श्री शहजाद का मकान उत्तरः रास्ता 10 फीट चौडा दक्षिणः श्रीमती रिहाना का मकान

अनुसूची - बीः

छत सहित मकान का उत्तरी भाग क्षेत्रफल 72.23 वर्ग गज यानी 60.39 वर्ग मीटर सीमायें:- पूर्वः 25 फीट पश्चिमः 25 फीट उत्तरः 26 फीट दक्षिणः 26 फीट, ख. नंबर 53 और 54, खेवाट नंबर 2, महल अमीर अहमद, स्थित मौह. खानलामपुरा, नई बस्ती, दर आबादी शक्ति पुरम कॉलोनी, सहारनपुर। सीमायें:-पूर्वः श्रीमती निगात का मकान पश्चिमः श्री शहजाद का मकान उत्तरः रास्ता 10 फीट चौडा दक्षिणः श्रीमती रिहाना का मकानं

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
	CVPOD (560361000069454)	Rs. 40,00,000/-	Rs. 42,04,041.40
GRAND TOTAL		Rs. 40,00,000/-	Rs. 42,04,041.40

अतएव, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 तथा गारंटर के रूप में आप सं. 3 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मासिक दरों पर मिश्रित **13.65 प्रतिशत प्रति वर्ष** (मूल स्वीकृति के अनुसार) मासिक की दर पर आगे के ब्याज तथा बैंक के सूचना के लागत के साथ **रुपये 42,04,041.40** उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभूति क्रेडिटर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 02.12.2019 | स्थान- सहारनपुर | प्राधिकृत अधिकारी

RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L74900DL1992PLC047055
Regd. Office: B-97, All Heavens Building, Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110052
Website: www.rciind.com E-mail: compliance@rciind.com Tel: 011-27372194 Fax: 011-27371334

Extract of Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter/Half year Ended September 30, 2019

(₹ in Lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Corresponding Quarter ended of the Previous year 30.09.2018 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations (Including Other Income)	9,152.32	31,190.10	55,591.86
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,965.13)	(2,595.33)	1,583.72
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4,601.45)	(5899.39	1,583.72
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4,668.76)	(5,945.33)	1,287.15
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4,444.23)	(5,762.87)	1,969.37
6	Equity Share Capital	1,567.64	1,567.64	1,343.64
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	Not Applicable		
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- (a) Basic (in ₹)	(29.78)	(37.93)	9.58
	(b) Diluted (in ₹)	(29.78)	(37.93)	8.21

Notes:

1. **Additional Information on Standalone Financial Results:**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Corresponding Quarter Ended of the Previous Year 30.09.2018 (Un -Audited)
i	Turnover	9,064.71	25,417.91	46,064.54
ii	Profit Before Tax	(4,588.29)	(5,919.83)	770.93
iii	Profit After Tax	(4,655.59)	(5,965.77)	474.37

2. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.rciind.com.

For and on behalf of the Board of Directors
For RCI Industries & Technologies Limited
Sd/-
Rajeev Gupta
Chairman & Managing Director
DIN -00503196

Place : New Delhi
Date : 02.12.2019

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) (इसके पश्चात ‘‘अधिनियम’’ कहा जायेगा) के तहत सूचना

यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि आपका ऋण खाता प्रतिभूत लेनदार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत पता डी-305, भूतल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-110017 (इसके पश्चात ‘‘एसएचडीएफसी’’ कहा जायेगा) द्वारा एनपीए घोषित किया गया है और आप अपने विरुद्ध एसएचडीएफसी के कुल बकाया को अदा करने के उत्तरदायी हैं। साथ ही आप आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित उपर्युक्त राशि पर अनुबन्ध दर से भावी ब्याज अदा करने के भी उत्तरदायी हैं। अतः, एतद्वारा हम आपसे इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देयताएँ एसएचडीएफसी को भुगतान करने के लिए कहते हैं जिसमें असफल रहने पर एसएचडीएफसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा। कर्जदारों तथा प्रतिभूत आस्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	कर्जदार(रों) का नाम	पता	सूचना की राशि	प्रतिभूत आस्ति
1.	राकेश कुमार वर्मा, देवित्री	म.नं.-0520जे कुलेसरा ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308	रु. 10,20,434/-	खेत सं. 472, ग्राम कुलेसरा, परगना-दादरी, तहसील एवं जिला-गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308 का भाग
2.	नूरा मोहम्मद, विभा	द्वितीय एवं तृतीय तल, म.नं. आई-16/365, बापा नगर, करोल बाग, मध्य दिल्ली-110005	रु. 5,90,471/-	फ्लैट सं. आई-सी, प्रथम तल, प्लॉट सं. 204ए, खसरा नं. 353एम, पुष्प विहार कॉलोनी, ग्राम-सादुल्लाबाद, लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201006
3.	मृत्युंजय कुमार, बैदेही कुमारी	म.नं. 396, द्वितीय तल, एलएचएस बंगला चौक, नेब सराय, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली-110068	रु. 11,79,291/-	फ्लैट सं. 203, सम्पत्ति सं. 124, खसरा नं. 322, नेब सराय, नई दिल्ली-110068
4.	मनोज कुमार, सरोज कुमारी	म.नं. ई-120, किशन विहार निकट राठी मार्केट, धर्मशाला, सुल्तानपुरी, दिल्ली-201206	रु. 7,70,290/-	फ्लैट सं. बी-276, द्वितीय तल, टावर सं. 10, ब्लॉक 12, दिनेश नगर, निकट रामपुरा, पिलखुआ, परगना एवं तहसील हापुड़, उत्तर प्रदेश-245307

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 02.12.2019

अधिकृत प्राधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि.

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा 1 ला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110025
फोनः 25854327, 25853243, ईमेलः bo4168@pnb.co.in

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ‘‘उक्त अधिनियम’’ वर्णित) के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय एआरएमबी, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (यहां के बाद ‘‘उक्त नियमावली’’ वर्णित) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.07.2019 धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधार/निदेशक/मार्टगैजर/गारन्टर मै. विजन ग्लासेस प्रा. लि. श्री मोह. अखलाक (निदेशक), श्री मोह. बाबर (निदेशक) एवं श्री मोह. सैयद आजाद अली जैदी (गारन्टर) को ऋण खाता सं. 1519008700002014 के अंतर्गत उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.06.2014 को देय तथा बकाया रु. 2,74,92,329/- (रु. दो करोड़ चौहत्तर लाख बानवे हजार तीन सौ उन्नतीस मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज, लागतों तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर/निदेशक/मार्टगैजर इस राशि को निर्धारित अवधि में लौटाने तथा अपनी दयेता निष्पादित करने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर/निदेशक/मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 30 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.06.2014 को देय तथा बकाया रु. 2,74,92,329/- (रु. दो करोड़ चौहत्तर लाख बानवे हजार तीन सौ उन्नतीस मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज, लागतों तथा खर्चे के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति (यों) का विवरण

आई पी खसरा नं. 3/7, ग्राम सदाबाद दुग्रावली, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, माप 666 वर्ग यार्डस में स्थित मोह. एखलाक के स्वामित्व की गिरवी सम्पत्ति के इक्विटैबल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 30.11.2019
स्थानः लोनी (उत्तर प्रदेश)

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 as amended, for information purposes only.

KOSAMATTAM FINANCE LIMITED

Kosamattam Finance — Trust grows with time

(CREDIT RATING : ‘IND BBB’ Outlook Stable, by India Ratings & Research Private Limited (“India Ratings”)

Our Company was incorporated on March 25, 1987, as ‘*Standard Shares and Loans Private Limited*’, a private limited company under the Companies Act, 1956 with a certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep, at Kochi, (**“RoC”**). The name of our Company was changed to ‘*Kosamattam Finance Private Limited*’ pursuant to a resolution passed by the shareholders of our Company at the EGM held on June 2, 2004 and a fresh certificate of incorporation dated June 8, 2004 issued by the RoC. Subsequently, upon conversion to a public limited company pursuant to a special resolution of the shareholders of our Company dated November 11, 2013, the name of our Company was changed to ‘*Kosamattam Finance Limited*’ and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on November 22, 2013. Our Company has obtained a certificate of registration dated December 19, 2013 bearing registration no. B-16.00117 issued by the Reserve Bank of India (**“RBI”**) to carry on the activities of a non-banking financial company without accepting public deposits under Section 45 IA of the RBI Act, 1934. For details of changes in our name and registered office, see *“History and Certain Other Corporate Matters”* on page 91 of the Prospectus to be read in conjunction with the corrigendum dated November 9, 2019.

Registered and Corporate Office: Kosamattam Mathew K. Cherian Building, M. L. Road, Market Junction, Kottayam - 686 001, Kerala, India
Corporate Identity Number: U65929KL1987PLC004729; **Tel:** +91 481 258 6400; **Fax:** +91 481 258 6500; **Website:** www.kosamattam.com
Company Secretary and Compliance Officer: Sreenath P. **Tel:** +91 481 258 6506; **Fax:** +91 481 258 6500; **E-mail:** cs@kosamattam.com

PUBLIC ISSUE BY KOSAMATTAM FINANCE LIMITED, (“COMPANY” OR “ISSUER”) OF SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹1,000 EACH (“NCDs”), AT PAR, AGGREGATING UP TO ₹17,500 LAKHS, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “BASE ISSUE” WITH AN OPTION TO RETAIN OVER-SUBSCRIPTION UP TO ₹17,500 LAKHS, AGGREGATING UP TO ₹35,000 LAKHS, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “OVERALL ISSUE SIZE” (THE “ISSUE”). THE ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008, AS AMENDED (“SEBI DEBT REGULATIONS”), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED TO THE EXTENT NOTIFIED.

ISSUE CLOSES ON WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019*
Last day for submitting applications is Wednesday, December 4, 2019*

**Pursuant to the Prospectus dated November 5, 2019, the Issue opened on Monday, November 11, 2019 and was scheduled to close at 5 p.m. on Tuesday, December 10, 2019, with an option for early closure or extension by such period as may be decided by the duly authorised committee of the Board of Directors. Our Company has exercised the option of early closure and the Debenture Committee of our Company has vide its resolution dated Monday, December 2, 2019 decided to close the Issue on Wednesday, December 4, 2019. In terms of the Prospectus dated November 5, 2019, our Company is issuing this public notice for the early closure of the Issue. The Subscription list for the Issue shall remain open for subscription upto 5 p.m. or such time as the BSE Limited may permit on Wednesday, December 4, 2019.*

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013:

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see “*History and Certain other Corporate Matters*” on page 91 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "*Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 270 of the Prospectus.

Liability of Members: Limited

Amount of share capital of the company as at the date of the Prospectus: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 5,50,00,00,000 divided into 50,00,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 5,00,000 Preference Shares of face value of ₹ 1,000 each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company is ₹ 2,03,60,17,700 divided into 19,16,01,770 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 1,20,000 Preference Shares of face value of ₹ 1,000 each.

Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the time of signing the Memorandum of Association: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the Number of equity shares subscribed for of face value of ₹1,000 each by them at the time of signing of Memorandum of Association: K .P. Jose-1 equity share and K. P. Rajan-1 equity share.

PROMOTERS OF THE COMPANY: Mathew K. Cherian, Laila Mathew and Jilu Saju Varghese. For further details, see “*Our Promoters*” on page 107 of the Prospectus.

LISTING: The NCDs offered through this Prospectus are proposed to be listed on the BSE Limited (**“BSE”**) and BSE shall be the Designated Stock Exchange. Our Company has obtained ‘in-principle’ approval for this Issue from BSE *vide* their letter dated October 11, 2019. BSE shall be the Designated Stock Exchange for this Issue.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated December 19, 2013 bearing registration no. B-16.00117 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the Company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the Company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the Company.

CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued under this Issue have been rated ‘IND BBB’ Outlook Stable, by India Ratings and Research Private Limited (**“India Ratings”**) for an amount up to 35,000 lakhs *vide* its letter dated September 30, 2019. The rating of NCDs by India Ratings indicates that instruments with this rating are considered to have moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. Such instruments carry moderate credit risk. This rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decisions. The rating provided by rating agency may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agency on the basis of new information etc., and should be evaluated accordingly. Please refer to page 275 of the Prospectus. for the rationale for the above rating.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: Kosamattam Finance Limited Tel.:+91 481 258 6400; Fax: +91 481 258 6500; Lead Managers: KARVY INVESTOR SERVICES LIMITED, Tel: +91 40 23428774 / 23312454, Fax: +91 40 23374714; SMC CAPITALS LIMITED, Tel: +91 22 66481818, Fax: +91 22 67341697 and offices of Syndicate Members, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites of the Company, BSE and the Lead Managers.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered and Corporate Office of the Company and the Lead Managers. Full copy of the Prospectus will be available on the website of the Issuer at www.kosamattam.com, of the Lead Managers at www.karvyinvestmentbanking.com and www.smccapitals.com, of BSE at www.bseindia.com and of SEBI at www.sebi.gov.in.

PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND REFUND BANK : Axis Bank Limited

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE		DEBENTURE TRUSTEE*	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
KARVY INVESTMENT BANKING	smc capitals	VISTRA ITCL	KARVY FINTECH	**Mr. Sreenath P.** Kosamattam Finance Limited Kosamattam Mathew K. Cherian Building, Market Junction, M. L. Road Kottayam – 686 001 **Tel.:** +91 481 258 6506 **Fax:** +91 481 258 6500 **E-mail:** cs@kosamattam.com
KARVY INVESTOR SERVICES LIMITED Karvy Millennium, Plot No.31/P, Nanakramguda, Financial District, Gachibowli, Sherilingampally, Hyderabad, Rangareddi – 500 032 Telangana, India **Tel:** +91 40 23428774 / 23312454 **Fax:** +91 40 23374714 **E-mail:** cmg@karvy.com **Investor grievance e-mail:** igmbd@karvy.com **Website:** www.karvyinvestmentbanking.com **Contact Person:** Swapnil Mahajan/ Bhavin Vakil **Compliance Officer:** M.P. Naidu **SEBI Registration No:** MB/INM000008365 **CIN:** U67120TG1997PLC026253	**SMC CAPITALS LIMITED** A-401/402, Lotus Corporate Park Off Western Express Highway, Jai Coach Junction, Goregaon (East), Mumbai – 400063 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 66481818 **Fax:** +91 22 67341697 **E-mail:** kfl.ncd2019@smccapitals.com **Investor grievance e-mail:** investor.grievance@smccapitals.com **Website:** www.smccapitals.com **Contact Person:** Satish Mangutkar/ Bhavin Shah **Compliance Officer:** Vaishali Gupta **SEBI Registration No:** MB/ INM000011427 **CIN:** U74899DL1994PLC063201	**VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED** The IL&FS Financial Center, Plot No. C – 22, G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2659 3333 **Fax:** +91 22 2653 3297 **Email:** itclcomplianceofficer@vistra.com **Website:** www.vistraitcl.com **Investor Grievance Email:** investorgrievancesitcl@vistra.com **Contact Person:** Jatin Chonani **SEBI Registration Number:** IND000000578 **CIN:** U66020MH1995PLC095507	**KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED** Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddy Hyderabad – 500 032, Telangana **Tel:** +91 40 6716 2222 **Fax:** +91 40 2343 1551 **Email:** einward.ris@karvy.com **Investor Grievance Email:** kosamattam.ncdipo18@karvy.com **Website:** www.karvyfintech.com **Contact Person:** M Murali Krishna **SEBI Registration Number:** INR000000221 **CIN:** U72400TG2017PTC117649	Investors may contact the Registrar to the Issue or the Compliance Officer in case of any pre-issue or post-issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demat credit of allotted NCDs, refund orders or interest on application money.

**Vistra ITCL (India) Limited, by its letter dated September 19, 2019, has given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in this Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the Debentures issued pursuant to this Issue. For further details, see “General Information – Debenture Trustee” on page 39 of the Prospectus.*

A copy of this Prospectus has been delivered to the RoC, in terms of Section 26 of the Companies Act, 2013 along with the requisite endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details, see “Material Contracts and Documents for Inspection” beginning on page 270 of the Prospectus.

Disclaimer: Kosamattam Finance Limited is subject to market conditions and other considerations, proposing a public issue of Secured Redeemable Non-Convertible Debentures and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep, BSE Limited and SEBI (for record purposes). The Prospectus is available on our website at www.kosamattam.com, on the website of the stock exchange at www.bseindia.com and the website of the Lead Managers at www.karvyinvestmentbanking.com and www.smccapitals.com. All investors proposing to participate in the public issue of NCDs by Kosamattam Finance Limited should invest only on the basis of information contained in the Prospectus. Please see section entitled “*Risk Factors*” beginning on page 16 of the Prospectus for risk in this regard.

For **Kosamattam Finance Limited**
Sd/-
Mathew K. Cherian
Chairman and Managing Director
(DIN : 1286073)

Place: Kottayam
Date: December 2, 2019

Adfactors366

www.readwhere.com

जनसत्ता

खर्चीला संचार

संचार कंपनियां जिस तरह कुछ समय से अपने घाटे का ब्योरा दे रही थीं, उसी से जाहिर हो गया था कि मोबाइल फोन सेवाओं के शुल्क बढ़ सकते हैं। आखिरकार सभी बड़े नेटवर्क वाली कंपनियों ने अपने शुल्क में चालीस से पचास फीसद तक बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। वोडाफोन, एअरटेल, जियो और आइडिया ने अलग-अलग बयान जारी कर अपने बढ़े हुए शुल्कों की जानकारी दी। पिछले करीब चार सालों में यह पहली बढ़ोतरी है। अब उपभोक्ताओं को न सिर्फ मुफ्त बातचीत के लिए मिलने वाले असीमित समय और प्रतिदिन मिलने वाले इंटरनेट डाटा का लाभ मिलना कम हो जाएगा, बल्कि उन्हें नियमित शुल्क भी बढ़ी दर पर चुकाना पड़ेगा। यानी अब तक जो लोग सौ रुपए खर्च किया करते थे, उन्हें नई शुल्क दर के अनुसार करीब डेढ़ सौ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस पर स्वाभाविक ही कुछ लोगों को हैरानी हो रही है कि ये कंपनियां जब पिछले चार सालों से मुफ्त या सस्ती सेवाएं उपलब्ध करा रही थीं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वे घाटा उठाने लगीं और उन्हें शुल्क की दरें बढ़ानी पड़ीं! हैरानी इस पर भी स्वाभाविक है कि मोबाइल कंपनियों की इस घोषणा पर दूरसंचार नियामक अधिकरण यानी ट्राई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

दूरसंचार के क्षेत्र में निजी कंपनियों को इसलिए कारोबार का मौका दिया गया था कि इससे संचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसके फलस्वरूप संचार शुल्क घटेगा। इसके सकारात्मक नतीजे भी आए। संचार सेवाओं के शुल्क काफी कम हो गए। मोबाइल सेवाओं की पहुंच सामान्य आयवर्ग तक भी संभव हो सकी। स्मार्टफोनों का चलन बढ़ा और इंटरनेट सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। सेवा क्षेत्र में जितनी तेजी से दूरसंचार का विस्तार हुआ, उतना किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ। इसी दौर में जियो ने असीमित मुफ्त बातचीत और इंटरनेट सेवाएं देने की लंबे समय तक योजनाएं चलाईं। उसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों के पास फोन सेवाएं नहीं पहुंची थीं, वे भी इसका लाभ उठाने लगे। आंकड़े बताते हैं कि संचार सेवाओं के मामले में भारत सबसे तेजी से उभरता देश हो गया। अब बहुत कम परिवार ऐसे हैं, जिनके पास मोबाइल सेवाओं की पहुंच नहीं है। यानी उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ी है। फिर दूरसंचार कंपनियों को घाटा कैसे उठाना पड़ रहा था!

इसकी कुछ वजहें समझी जा सकती हैं। एक तो यह कि निजी दूरसंचार कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा के चलते बहुत तेजी से अपनी सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया। उसमें सस्ती दर पर अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं भी चलाईं। इस तरह उनका खर्च बढ़ता रहा और कमाई अपेक्षित रूप से कम हुई। फिर बाजार में मंदी, महंगाई बढ़ने और लोगों की कमाई घटने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने खर्चों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। इसका असर दूरसंचार कंपनियों के कारोबार पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ा। महंगाई बढ़ती है तो सेवाएं भी महंगी होती हैं। पर जिस क्षेत्र में उपभोक्ता निरंतर बढ़ रहे हैं, जिस पर तमाम कारोबारी और सामाजिक गतिविधियों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसमें लाभ कम रहने का तर्क खटकता ही है। सरकारी संचार सेवाओं की हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से अधिसंख्य लोग निजी संचार सेवाओं की तरफ मुड़ चुके हैं। ऐसे में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का लाभ लेने वाले, तेजी से घटेंगे। तब इन कंपनियों के लिए अपना घाटा पाटना और मुश्किल हो सकता है।

स्त्री का भय

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि हमारे देश में विकास के नारे के बीच बड़ी तादाद में महिलाएं खुद को, अमूमन हर जगह, असुरक्षित महसूस करती हैं। वे शायद ही कोई ऐसी जगह पाती हैं, जहां इस बात को लेकर आश्वस्त हों कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक घटना नहीं होगी। खासतौर पर वे यौन हिंसा की प्रकृति की घटनाओं के खौफ से लगातार खुद को घिरी पाती हैं। यों यह एक आम और त्रासद हकीकत है, जिस पर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति गौर कर सकता है, लेकिन अक्सर इस सामाजिक पहलू पर होने वाले अध्ययनों की रिपोर्टों में यही तथ्य उभर कर सामने आता है। इसी क्रम में सामाजिक उद्यम 'सेफ्टीपिन', सरकारी संगठन कोरिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और एक स्वयंसेवी संगठन एशिया फाउंडेशन के संयुक्त अध्ययन में एक बार फिर यही विडंबना दर्ज हुई है कि देश के कई शहरों में महिलाएं लगातार खुद को भयग्रस्त पाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल, ग्वालियर और जोधपुर में करीब नब्बे फीसद महिलाएं सुनसान और खाली इलाकों की वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। खासकर अविवाहित महिलाओं और छात्राओं को यौन हिंसा का खतरा ज्यादा है।

हालत यह है कि करीब दो तिहाई महिलाएं सार्वजनिक परिवहन की खाली या कम लोगों को ले जाती गाड़ियों में सफर करने से डरती हैं या सुरक्षा इंतजामों की कमी की वजह से वे लगातार एक आशंका से घिरी रहती हैं। लगभग छियासी फीसद महिलाएं आसपास शराब या दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री से असुरक्षित महसूस करती हैं। आखिरकार ये कमियां किसकी लापरवाही से मौजूद हैं? विचित्र है कि महिलाओं को घूरने, पीछा करने, फब्तियां कसने और गलत तरीके से छूने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन्हें यौन उत्पीड़न के मामलों में गंभीर प्रकृति का नहीं माना जाता है। जबकि शुरुआती तौर पर घटने वाली ऐसी ही घटनाओं की अनदेखी और उनसे निपटने में बरती जाने वाली लापरवाही के बाद अपराधी प्रवृत्ति वालों का मनोबल बढ़ता है। यह बलात्कार या यौन हिंसा की बड़ी वजह है। इसके अलावा, घर की दहलीज से बाहर घटने वाली ऐसी घटनाओं के समांतर महिलाओं के लिए घर की चारदिवारी भी कितनी सुरक्षित है, यह सभी जानते हैं। इस मसले पर भी अनेक अध्ययनों में बताया गया है कि महिलाओं और बच्चियों के यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामलों में आरोपी उनका कोई परिचित, यहां तक कि संबंधी भी होता है।

हाल ही में हैदराबाद की घटना के अलावा ऐसी तमाम घटनाओं ने देश भर में लोगों के भीतर आक्रोश पैदा किया है। दूसरी ओर, सरकारें अक्सर यह दावा करती रहती हैं कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के मोर्चे पर कोई कमी नहीं की जाती है। लेकिन अगर यह दावा सच है तो ऐसा क्यों है कि सौ में नब्बे महिलाओं को लगभग हर वक्त खौफ से गुजरना पड़ता है। सवाल है कि जब पितृसत्तात्मक मानसिकता से लैस पुरुषों का एक बड़ा हिस्सा अपनी यौन कुंठा की वजह से कभी भी यौन हिंसा या उत्पीड़न करने को तैयार रहता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें? निश्चित रूप से सख्त कानूनी व्यवस्था और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने का एक सबसे जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन जब तक सामाजिक विकास नीतियों और उनमें समाज को पितृसत्तात्मक मूल्यों से मुक्ति के सूत्रों को प्रमुखता नहीं दी जाएगी, तब तक स्त्री के लिए अपने आसपास की दुनिया खौफ ही पैदा करेगी।

कल्पमेधा

अपनी वर्तमान प्रसन्नताओं को इस प्रकार भोगो कि भावी प्रसन्नताओं को क्षति न पहुंचे।
-सेनेका

अतिक्रमण की भेंट चढ़ते तालाब

दिनेश प्रसाद मिश्र

हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वर्षा जल को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए जगह-जगह पोखर, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि निर्मित कराए जाते थे, जिनमें वर्षा जल एकत्र होता और वह वर्ष भर जीव-जंतुओं सहित मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध होता था। पर वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर इन्हें संरक्षण न मिलने के कारण अब तक लगभग साढ़े चार हजार नदियां तथा बीस हजार झील, पोखर, तालाब आदि सूख गए हैं।

आज पूरे देश में पोखर और तालाब संकट में हैं। बहुत सारे तालाब या तो सूख गए हैं या अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के राजपुर गांव में कभी अपार जल राशि रहा करती थी। वह जल आसपास के लोगों तथा जीव-जंतुओं के लिए जीवन अमृत प्रदान करता था, पर नवधनाढ्यों की नजर उस पर ऐसी लगी कि आज उस तालाब के स्थान पर विशाल अट्टालिकाएं खड़ी हैं। बदायूं जिले के अनेक तालाब भू माफिया की भेंट चढ़ चुके हैं। चंदोखर, पक्का तालाब तथा चमरतलैया, जिनका क्षेत्रफल पचास बीघे से भी अधिक था, अपना अस्तित्व गंवा चुके हैं। अब उनके स्थान पर कल्याण नगर, प्रोफेसर कॉलोनी जैसी पाश कॉलोनियां उग आई हैं। पक्का तालाब का संबंध सुरंग के माध्यम से राजा महिपाल के महल से था, जहां स्नान करने के लिए रानियां जाया करती थीं। अब पक्का तालाब का अवशेष मात्र शेष है।

इसी प्रकार कानपुर-आगरा राजमार्ग पर एत्मादपुर से पहले कभी 'बुढ़िया का तालाब' विशाल दरिया के रूप में स्थित था, जिसमें रजवाहे के माध्यम से पानी निरंतर आता रहता था और वह वर्ष पर्यंत लबालब भरा रहता था। अब वहां पर पानी का नामोनिशान नहीं है, बबूल सहित कांटेदार वृक्षों का जंगल खड़ा हो गया है। प्रयागराज स्थित तालाब नवल राय अब इतिहास का विषय बन गया है। उसके स्थान पर आज इस नाम का मोहल्ला कायम है। प्रयागराज में ही धरा गांव का तालाब अपने आप में अद्वितीय था। चालीस एकड़ में फैले इस तालाब की भूमि कंक्रीट की बनाई गई थी और उसमें चारों ओर से आकर बरसाती पानी जमा होता था। वह अड़ोस-पड़ोस के गांवों सहित जीव-जंतुओं के पेयजल के साथ-साथ फसलों की सिंचाई और अन्य आवश्यक कार्यों में उपयोग में लाने पर भी वर्ष पर्यंत लबालब भरा रहता था। पर आज वहां पानी के स्थान पर सूखी भूमि नजर आती है।

गोरखपुर स्थित असुरन पोखरा सन 1075 से 1077 के मध्य राजा शूरपाल ने विष्णु मंदिर के साथ बनवाया था। वह आज पानी रहित होकर असुरन मोहल्ले के नाम से गोरखपुर में जाना जाता है। कानपुर देहात घाटमपुर स्थित कुष्मांडा देवी मंदिर का तालाब भी अपनी यही कहानी कह रहा है। गाजीपुर के सिद्ध पीठ भुड़कुड़ा के उत्तरी छोर पर स्थित पोखरा चमत्कारी पोखरा के नाम से जाना जाता है, जिसे सिद्ध पीठ के दूसरे महान संत गुलाल साहब ने लगभग साढ़े पांच सौ साल पहले खुदवाया था। वह आज अंतिम सांसें गिन रहा है। इसी प्रकार अलीगढ़ से अतरौली स्थित राजमार्ग पुर गांव का तालाब, शाहजहांपुर की तहसील तिलहर और पुवाया की सीमा में लघौला चेना में चौरासी बीघा के विशाल क्षेत्र में फैला तालाब, अमेठी के एक सौ नौ हेक्टेयर में फैला समदा ताल, नोएडा के बिलासपुर में स्थित चालीस बीघा में फैले बूढ़े बाबा का तालाब, बदायूं के अनेक तालाब भू माफियाओं की बुरी नजर का शिकार होकर अपने अस्तित्व को गवां बैठे हैं और उनके पेट में कंक्रीट के जंगल उग कर मुहल्लों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। मुरादाबाद के खुशहालपुर रोड स्थित लोको शेड के पास स्थित तालाब तथा चित्रकूट जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए मिनी खजुराहो के नाम से विख्यात गणेश बाग स्थित बावड़ी और तालाब आज अंतिम सांसें ले रहे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कभी समीपवर्ती गांव के सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों के केंद्र बनने वाले ये तालाब आज मृतप्राय हो गए हैं।

मृतप्राय तालाब-पोखरों की संख्या पूरे देश में बीस हजार से ऊपर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार मेरठ में 1115, बुलंदशहर में 3997, मुजफ्फरनगर में 767, शामली में 348, मुरादाबाद में 2532, अमरोहा में 2101, रामपुर में 2257, संभल में 599, अलीगढ़ में 1848, हाथरस में 94, प्रयागराज में 2800, प्रतापगढ़ में 1378, वाराणसी में 1519, बलिया में 4622, बरेली में 6500, शाहजहांपुर में 5000, बदायूं में 2243, पीलीभीत में 1071, नोएडा में 1002, लखनऊ में 1345, कन्नौज में 1818, चित्रकूट में 1499, फतेहपुर में 6650, कानपुर देहात में 2750, आगरा मंडल में 9423, आजमगढ़ में 45,000, सोनभद्र में 7000, गोरखपुर में 5646 और बस्ती मंडल में 4200 पोखर और तालाब हैं, जिनमें से दस फीसद तालाबों में भी गत जून माह में पानी नहीं था।

प्रदेश सरकार इन तालाबों पर पानी भरवाने का प्रयास कर रही थी। पर मनरेगा के अंतर्गत किए गए प्रयासों के बावजूद जल भरे तालाबों की संख्या कुल के सापेक्ष बीस फीसद नहीं हो पाई है। वर्षा ऋतु में अवश्य ही इनमें कुछ पानी देखने को मिला, पर उसके जाते ही पानी सूखना प्रारंभ हो गया है। गरमी आते-आते अधिकांश तालाब जल विहीन हो जाएंगे। मनरेगा द्वारा नए-नए तालाब बनाए जा रहे हैं, पर उनका निर्माण बिना किसी योजना के अदूरदर्शिता पूर्ण ढंग से किया जा रहा है। निर्माण के लिए निर्माण तो हो रहा है, पर यह नहीं देखा जा रहा कि इन तालाबों में पानी कहां से आएगा। उनमें प्रायः प्राकृतिक बरसाती पानी नहीं पहुंच पाता, जबकि तालाबों का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहां वर्षा का जल एकत्रित हो और भूगर्भ के जल स्तर को भी बढ़ाए।

आज देश का तीन चौथाई भाग पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। देश के अनेक भागों में जल की अनुपलब्धता के कारण आंदोलन और संघर्ष हो रहे हैं। दक्षिण भारत के चेन्नई से लेकर उत्तर भारत के अनेक शहरों में पेयजल की समस्या मुंह बाए खड़ी है। देश के लगभग सत्तर प्रतिशत घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। लोग प्रदूषित पानी पीने को बाध्य हैं, जिसके चलते लगभग चार करोड़ लोग प्रतिवर्ष प्रदूषित पानी पीने से बीमार होते हैं और लगभग छह करोड़ लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को विवश हैं। उन्हें पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। देश में प्रतिवर्ष लगभग चार हजार अरब घन मीटर पानी वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है, पर उसका लगभग आठ फीसद पानी ही हम संरक्षित कर पाते हैं। बाकी पानी नदियों, नालों के माध्यम से बह कर समुद्र में चला जाता है।

हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वर्षा जल को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए जगह-जगह पोखर, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि निर्मित कराए जाते थे, जिनमें वर्षा जल एकत्र होता और वह वर्ष भर जीव-जंतुओं सहित मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध होता था। पर वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर इन्हें संरक्षण न मिलने के कारण अब तक लगभग साढ़े चार हजार नदियां तथा बीस हजार झील, पोखर, तालाब आदि सूख गए हैं।

देश का कोई भी ऐसा हिस्सा या प्रदेश नहीं है, जहां पोखर और तालाब दिन-प्रतिदिन सूख न रहे हों तथा उन पर भू माफिया और बिल्डरों का अवैध कब्जा न हुआ हो। इसे देखते हुए प्रकृति प्रेमी और जल संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में कार्य कर रहे लोगों द्वारा समय-समय पर ऐसे जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई गई। हिंचलाल तिवारी, जगपाल और अन्य की जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सारे झील-तालाब-झरनों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद गाजीपुर के इकबाल अहमद की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए 2005-06 में आदेश पारित करते हुए कहा था कि 1952 के पहले के राजस्व अभिलेखों में पोखर, तालाब आदि के रूप में अंकित जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कर उन्हें बहाल किया जाए। माननीय न्यायालयों द्वारा पारित उक्त निर्णयों से समस्या विशेष का तो समाधान हुआ तथा कुछ जलाशयों को जीवनदान मिला पर उनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। भू-माफिया, राजनेता और अधिकारियों के गठजोड़ की वजह से जलाशयों की मुक्ति तथा उनकी बहाली की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

भाषा का जीवन

मेधा

दुनिया मेरे आगे

भाषा का सवाल बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने तरह से मन में उभरता रहा है। एक वजह तो यही समझ में आती है कि व्यक्ति की देह और मन की नाल मां के अलावा अगर किसी और शय से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ी होती है तो वह है अपनी भाषा। बचपन में मां की भाषा में सोना-जागना, हंसना-रोना हुआ और थोड़ी उम्र बढ़ने पर आस-पड़ोस की भाषा भी मां की सिखाई भाषा के ही दायरे में आ गई। कई बार मां की सिखाई भाषा के साथ आ मिली यह पड़ोस की भाषा भी अपनी मातृभाषा बन जाती है। हो सकता है, किन्हीं मामलों में ऐसा न होता हो, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। तभी तो ज्यादातर भारतीय परिवार अपनी मूल भाषाई बनावट में बहुभाषी होता है।

मिसाल के लिए, मेरी मां के घर पटना में मगही बोली जाती थी। जब वे ब्याह कर गंगा की गोद से निकल बूढ़ी गंडक (नदी) के तट पर आईं तो उनके भाई-बंधु, परिवार-पड़ोस ही नहीं, मायके की भाषा भी छूटी। मायके की भाषा एकदम से छूट गई- ऐसा तो नहीं कह सकते, भाषा व्यक्ति के जीवित होते कभी छूटती नहीं। वह रहती आपके साथ ही है, लेकिन हृदय में रहने और जबान पर होने के बीच का फर्क करना भी जरूरी है। ससुराल के नए संसार में मां की एक नई भाषा से भेंट हुई, महिलाएं बज्जिका बोलती थीं और पुरुष अधिकतर खड़ी बोली हिंदी। चूंकि मेरा शहर मिथिलांचल के ज्यादा करीब है तो वहां मैथिली बोलने वाले भी बहुत लोग थे।

इस तरह मेरा बचपन जिन भाषाओं से समृद्ध हुआ, उनमें हिंदी, बज्जिका, मगही, मैथिली और भोजपुरी थीं। स्कूल में अंग्रेजी तो थी ही। बचपन में ही पिताजी के पुस्तकालय से गालिब और मीर को पढ़ने का चस्का लग गया, सो उर्दू ने भी मेरे भाषा-संसार में अपनी जगह बना ली। दिल्ली आने पर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिल होने के बाद सुदूर असम से आई कारबियांग जनजाति की एक छात्रा से दोस्ती हुई। उनकी भाषा कार्बी के बारे में जाना तो उसकी सोंधी महक भी मेरे भाषा संसार को सुगंधित करने लगी। कई बंगाली दोस्तों की संगत का असर कहिए या फिर कवींद्र टैगोर की कविताओं का प्रभाव कि बांग्ला कभी भी दूसरे प्रांत की भाषा नहीं लगी। बांग्ला उतनी ही अपनी लगी, जितनी कि बज्जिका और भोजपुरी। हैदराबाद की एक सहेली ने तेलुगू को कब और कैसे मेरे भाषा-संसार में दाखिल करा दिया दिया, इसका पता तक नहीं चला मुझे। जब शहर पांडिचेरी के इश्क में गिरफ्तार हुई तो एक साथ तमिल और फ्रेंच दिल में समाते चले गए।

इन दिनों जिंदगी का ढर्रा सूफीयत का बन आया है। सो, अमीर खुसरो और मौलाना रूमी फारसी सीखने की ललक पैदा कर रहे हैं। कभी राबिया के लिए धड़कता दिल कहता है- 'ऐ लड़की राबिया को पढ़ने चली हो, लेकिन तुम्हें अरबी क्यों नहीं आती?' बॉलीवुडिया पंजाबी को लेकर मन में जो निरादर था, उसे बुल्लेशाह ने समाप्त कर दिया है। अब हर पंजाबी लफ्ज खुद-ब-खुद अपना अर्थ मुझ पर खोल देता है। तुलसीदास और जायसी को पढ़ते हुए अवधी ने भाषा-संसार को समृद्ध किया तो मीरा की रचनाओं ने राजस्थानी और गुजराती भाषा के संस्कार से अवगत करवाया।

जिंदगी के साथ-साथ भाषा का सफर भी निरंतर जारी रहा। पर कभी भी भाषा को लेकर मन में धर्म का सवाल नहीं उठा। मेरे गांव के इकलौते मुसलिम परिवार के सदस्य हम लोगों से अच्छी बज्जिका और हिंदी बोलते थे। और हमारे उर्दू शब्दों का भंडार उनसे अधिक समृद्ध था। हालांकि भाषाओं के सांप्रदायीकरण की कवायद तो सियासी तौर पर अंग्रेजों ने सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही शुरू कर दी थी।

लेकिन आजाद भारत में भाषा को राष्ट्रीय एकता-अखंडता के साए में सोचा गया और अपेक्षा रखी गई कि कोई एक भाषा कालक्रम में सारे देश की भाषा चाहे न बने, तो भी कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि उसे संपर्क-भाषा के रूप में अपनाते हुए किसी को अटपटा न लगे। यों देखें तो भाषा कोई भी हो, वह अपने मिजाज में लोकतांत्रिक ही होती है। हर दूसरी भाषा को अपना कर ही अपना विकास करती है। किसी से शब्द का उपहार लेती है, किसी के व्याकरण से कोई सूत्र ले आती है तो किसी भाषा की भंगिमा अपना लेती है। इस तरह अपने को सजाती-संवारती है। आजाद भारत में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने का विचार इसी तर्क को अपना कर चला। भाषा धर्म के आधार पर न किसी को पहचानती है और न ही उसे विभेद का जरिया बनाती है। अगर ऐसा होता तो जायसी एक हिंदू राजा की कथा अवधी में क्यों लिखते? संस्कृत या उसके किसी खास हिस्से को सिर्फ हिंदू पढ़ाए वाले तर्क को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक निष्कर्ष यह भी निकलेगा कि जो हिंदू नहीं है, उसे संस्कृत पढ़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। हम लौट कर वहीं पहुंचेंगे जहां बात आएगी कि शूद्र, स्त्री को ज्ञान का अधिकार नहीं होना चाहिए!

गांधी के मूल्य

महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे में दक्षिणपंथ की कट्टर सनक थी, बावजूद इसके संघ या भाजपा ने हाल के वर्षों में गांधी-विरोध या गोडसे का पक्ष नहीं लिया। कारण स्पष्ट है कि गांधी इस देश के जेहन में रचे-बसे हैं। हमारी राजनीति और इसके नुमाइंदों की वैचारिकता चाहे जितनी निकृष्ट हो जाए लेकिन राहत की बात है कि महात्मा गांधी की शहादत के इकहत्तर साल बाद भी, किसी सरकार या किसी पक्ष की इतनी हैसियत नहीं कि राष्ट्रपिता गांधी का खुलेआम विरोध कर उस पर कायम रह जाए। तर्कशील व्यक्ति भी यदि गांधी को भला-बुरा कहे तो आत्मग्लानि का शिकार हो जाता है।

भाजपा भी जानती है कि गांधी का क्षणिक विरोध कर वह एक जमात को अपने पक्ष में तो कर सकती है, लेकिन वह समर्थन अल्पकालिक ही होगा जिसके चलते एक बड़ा जनाधार उससे दूर चला जाएगा। कट्टरता, भेदभाव, नफरत, हिंसा, अतिवाद और द्वेष का जहर कितना ही लोगों के मन में भर दिया जाए, लेकिन अहिंसा, सत्य, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम की मानवीय वृत्ति से आमजन स्थायी तौर पर दूर नहीं हो सकता। गांधी इसी मानवता के पर्याय थे, व्यावहारिक और स्वाभाविक थे। आज देश-दुनिया में गांधी के विचार, उनके सिद्धांत, नजरिया, सोच पढ़ाई जाती है। पांच बार शांति के नोबेल के लिए नामित होने वाले महात्मा गांधी को वह पुरस्कार न दिया जाना आज भी नोबेल कमेटी को अखरता है।

बड़ी संजीदगी से असहमति का सम्मान करने और हर भावना व राय को व्यक्त करने के अधिकार के समर्थक गांधी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर व हर तरह के भेदभाव के घोर विरोधी थे। निर्भीकता से सत्य कहने और उस पर अड़े रहने का साहस गांधी देते हैं। अपने व्यक्तित्व से ही गांधी आजीवन असत्य, घृणा और नफरत को हराते रहे। यही कारण है कि आज गांधी के न होने पर भी झूठ के सहारे उनका प्रतिकार करने की प्रवृत्ति नहीं टिक पा रही है। वे बंदूक की गोली से मरने वाले शख्स हरगिज नहीं थे।

● *कृष्ण जांगिड़, राजस्थान विश्वविद्यालय*

सुस्ती के पीछे

देश में आर्थिक सुस्ती के कारण किसी से छिपे नहीं हैं। इन कारणों में सबसे चिंताजनक यह तथ्य सामने आना है कि उपभोक्ता खर्च कम हो रहा है। यह कमी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हो रही है। इसका मतलब है कि लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं और बचत करना पसंद कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं कि बीते दो-तीन महीनों में सरकार एक के बाद एक करीब दो दर्जन कदम उठा चुकी है। इनमें कुछ कदम ऐसे रहे जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया, जैसे कॉरपोरेट कर की दरों में व्यापक कटौती। इस कटौती से कॉरपोरेट जगत को प्रोत्साहन तो मिला है, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वे आपूर्ति बढ़ाने वाले हैं। लिहाजा, सरकार को कुछ ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिनसे मांग बढ़े। यह तभी होगा जब उपभोक्ता अपना खर्च बढ़ाएंगे। उचित होगा कि कॉरपोरेट कर में कटौती के बाद व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती करने के साथ अन्य वे उपाय किए जाएं, जिनसे लोग खपत बढ़ाने को प्रेरित हों।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर*

सुधार की दरकार

भारत एक कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। विकासशील देश होने के साथ ही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ने भारत में गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं को और अधिक भयावह बना दिया है। ऐसी हालत में संसाधनों के अधिकतम और कुशलतम उपयोग की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि और उसकी उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी भूमि के प्रासंगिक प्रयोग की दरकार है। इसके अलावा सरकार को जल प्रबंधन नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। लगभग तेईस करोड़ लोगों की बिजली तक पहुंच नहीं है, जिसे देखते हुए भारत में आधारभूत संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

● *गुरुदास दुबे, मऊगंज, मध्यप्रदेश*

यह मिसाल

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सेवानिवृत्ति के दो दिन बाद ही सरकारी बंगला खाली कर दिया। वे गुवाहाटी स्थित अपने घर लौट चुके हैं। खबर छोटी है लेकिन महत्त्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद गृह नगर लौटने में नया कुछ नहीं होता। लोग सेवानिवृत्ति के बाद अक्सर अपने गृहनगर प्रदेश लौट जाते हैं। जस्टिस गोगोई से संबंधित खबर में बंगले वाला पक्ष अवश्य मजबूत है। उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण पेश कर एक आदर्श परंपरा को मजबूती से आगे बढ़ाया है। ऐसे उदाहरण प्रेरणास्पद हैं।

इस तरह के उदाहरणों की अपेक्षा राजनीति और सरकारी सेवा में जुड़े लोगों से बरसों से की जा रही है। पलट कर पीछे देखने पर बहुत उत्साहजनक दृश्य दिखाई नहीं देता। हाल में राजनीतिक बिरादरी में महज दो ऐसे बड़े उदाहरण मिले। लोगों को याद होगा कि केंद्र सरकार में वित्तमंत्री रहे अरुण जेटली और विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज ने पद से हटते ही अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए थे। जेटली वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य होने के कारण बंगले में रह सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। विडंबना है कि कभी उच्च मूल्यों और प्रबल नैतिकता के लिए पहचाने जाते रहे हमारे समाज और परिवारों में अब इनकी कमी साफ दिखाई देती है। सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। लोगों को सरकारी आवासों में अवैध रूप से रहते देखा जाता है। बाहर निकालने की बात शुरू होते ही नाना प्रकार के बहाने और तर्कों की झड़ी लग जाती है। कितने ही मामलों में अदालती हस्तक्षेप से ऐसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। इनमें राजनेता, पूर्व जनप्रतिनिधि और सेवानिवृत्त अधिकारी बहुतायत में रहे। अगस्त 2019 में लोकसभा की आवास समिति ने 200 पूर्व संसद सदस्यों को नोटिस जारी कर सरकारी बंगले को खाली करने को कहा था। ये सारे माननीय पिछली लोकसभा के सदस्य थे, जिसे पच्चीस मई को भंग किया जा चुका था। नियमानुसार इन्हें एक माह में बंगले खाली कर देने थे। नोटिस पर एक बड़े कांग्रेसी नेताके बयान पर आश्चर्य हुआ।

● *रितेश कुमार उपाध्याय, संत कबीर नगर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com

जनसत्ता
संवाद
3 दिसंबर, 2019 7

जरा हट के

कोहिमा में आयोजित वार्षिक हॉर्नबिल उत्सव के दूसरे दिन कोन्याक जनजाति की महिलाएं अपनी बंदूकों के साथ प्रदर्शन करते हुए।

बोल

आपके साथ, मैं प्रार्थना करता हूं कि मानव इतिहास में कभी परमाणु हथियारों की विध्वंसक शक्ति का इस्तेमाल न हो।
-पोप फ्रांसिस

विवाद

अगर गाजा में किसी को लगता है कि वह ऑपरेशन ब्लैक बेल्ट के खिलाफ अपना सिर उठा सकते हैं तो यह उनकी गलतफहमी है।
-बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री

सम-सामयिक

सियाचिन : दुश्मन से नहीं, प्रकृति से जंग की मजबूरी

जनसत्ता संवाद

सियाचिन ग्लेशियर में दो बार आए बर्फीले तूफान (हिमस्खलन) में अब तक छह सैनिकों और सेना के दो कुलियों की मौत हो चुकी है। दोनों तूफानों की चपेट में आए सेना के कई अन्य जवानों अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

हिमस्खलन की खबरें आने के बाद से दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यहां मौसम की मार के कारण जवानों की मौत को लेकर बहस होने लगी है कि इन मौतों को रोकने का क्या कोई उपाय नहीं? सियाचिन में हिमस्खलन या प्रतिकूल मौसम की वजह से हर महीने औसतन दो जवानों की मौत हो जाती है। 1984 से लेकर अब तक 1400 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं।

भारत के लिए सामरिक महत्त्व

उत्तर पश्चिम भारत में काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर 76.4 किलोमीटर लंबा है और इसमें लगभग 10,000 वर्ग किमी वीरान मैदान शामिल है। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके को छूती है। यहां भारतीय सैनिक ऊंचाई पर हैं और इस कारण चीन और पाकिस्तान- दोनों तरफ की गतिविधियों पर निगाह रखते हैं।

सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के सैनिक 13 साल से एक-दूसरे के सामने डटे हुए हैं। यह दुनिया का सबसे खर्चीला युद्ध क्षेत्र भी है, जहां लड़ने वाले दोनों पक्ष जानते हैं कि इस युद्ध का विजेता कोई नहीं हो सकता। भारत सरकार के मुताबिक, इस हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपने मानचित्रों में पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के अंतिम छोर एनजे-9842 से सीधी रेखा खींच कर कराकोरम दर्रे तक दिखाना आरंभ किया था। चिंतित भारत सरकार ने तब 13 अप्रैल 1984 को 'ऑपरेशन मेघदूत' आरंभ कर उस पाक सेना को इस हिमखंड से पीछे धकेलने का अभियान आरंभ किया। पाकिस्तान का इरादा सियाचिन के बाद नुब्रा घाटी के साथ ही लद्दाख पर कब्जा करना था।

1984 में भारतीय सशस्त्र बलों का अभियान अनोखा था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़े युद्धक्षेत्र में पहली बार कार्रवाई की गई। ये अभियान 1984 से 2002 तक चला था, यानी पूरे 18 साल तक। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सियाचिन के लिए एक दूसरे के सामने डटी रहीं। जीत भारत की हुई। आज भारतीय सेना 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर, उससे जुड़े छोटे ग्लेशियर, तीन प्रमुख दर्रों (सिया ला, बिलाफोंद ला और म्योंग ला) पर कब्जा जमाए हुए है। इस अभियान में भारत के करीब एक हजार जवान शहीद हो गए थे। हर रोज सरकार सियाचिन की हिफाजत पर करोड़ों खर्च करती है।

सियाचिन में आज तक सिर्फ एक ही लड़ाई हुई है। यह लड़ाई इस इलाके में अब तक की पहली और आखिरी लड़ाई थी। यहां के एक बंकर पर कब्जा जमाने के लिए जम्मू के ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था और उस पोस्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1987 में पाकिस्तानी सेना ने 21 हजार फुट की ऊंचाई पर कब्जा कर एक बंकर का निर्माण कर लिया था। यह पोस्ट भारतीय सेना के लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि वे वहां से गोलियां बरसा कर नुकसान पहुंचाने लगे थे।

पाकिस्तान की पोस्ट पर कब्जे के लिए 1987 के मई महीने में बाना सिंह समेत 60 सैनिकों की टीम तैयार की गई। इस पोस्ट पर भारत ने कब्जा कर इसका नाम बाना सिंह पोस्ट रख दिया। हालांकि, 22 जून को शुरू हुए इस अभियान में उसके कई अफसर और जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस लड़ाई का एक कड़वा सच यह था कि 21000 फुट की ऊंचाई पर शून्य से 60 डिग्री नीचे के तापमान में भारतीय जवानों ने तीन दिन भूखे पेट रह कर यह जीत हासिल की थी।

शोध-अनुसधान

जीवाणुरोधी दवाओं के विकास में उपयोगी प्रोटीन

जनसत्ता संवाद

दवाओं के प्रति बैक्टीरिया में बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए नई दवाओं का विकास चिकित्सा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। दुनियाभर के वैज्ञानिक लंबे समय से इसी की तोड़ खोजने में लगे हुए हैं। वहीं हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता रखने वाले एक ऐसे प्रोटीन की पहचान की है, जिसे आणविक स्तर पर लक्ष्य बनाकर स्टैफिलोकॉकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से भविष्य में नई एंटीबायोटिक दवाओं को विकसित करने में मदद मिल सकती है।

एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण आमतौर पर पादप अर्क और फफूंद जैसे प्राकृतिक उत्पादों या फिर लैब में विभिन्न रसायनों को मिलाकर किया जाता है। लेकिन, एंटीबायोटिक दवाओं की खोज से जुड़े शोध कार्यों में ऐसी प्रक्रियाओं का महत्व कई बार बढ़ जाता है, जिन पर अपेक्षाकृत रूप से कम खोजबीन की गई हो। इसलिए, नए एंटीबायोटिक एजेंट के रूप में इंडोल आधारित क्विनोन एपोक्साइड का विकास महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह शोध सीएसआईआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ), लखनऊ और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर), पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शोध के फलस्वरुप वैज्ञानिकों ने स्टैफिलोकॉकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता रखने वाले रूपों में ऐसे प्रोटीन की पहचान की है, जिसे आणविक स्तर पर लक्ष्य बनाकर इस बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है।

शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के दौरान एक अणु भी विकसित किया है जो बैक्टीरिया में *भारतीय* वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोटीन की पहचान की है, जिसे आणविक स्तर पर लक्ष्य बनाकर बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही भविष्य में इस खोज से नई एंटीबायोटिक दवाओं को विकसित करने में मदद भी मिल सकती है।

पहचाने गए मार-आर प्रोटीन को लक्ष्य बनाकर उस बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। यह अणु इंडोल आधारित क्विनोन एपोक्साइड है, जो सक्रिय जीवाणुरोधी एजेंट की तरह काम करता है। इंडोल आधारित क्विनोन एपोक्साइड बैक्टीरिया की कोशिकाओं को भेदकर और उसमें मार-आर प्रोटीन की कार्यप्रणाली को बाधित करके उसे मार देता है।

अध्ययन में शामिल आइआइएसईआर, पुणे के शोधकर्ता डॉ हरिनाथ चक्रपाणी ने बताया कि 'स्टैफिलोकॉकस ऑरियस बैक्टीरिया में पहचाने गए इस प्रोटीन को बैक्टीरिया-रोधी एजेंट्स के जरिए लक्ष्य बनाया जा सकता है, जिससे कई गंभीर संक्रमणों से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसे अत्यधिक दवा प्रतिरोधी वीआरएसए बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी पाया गया है।'

स्टैफिलोकॉकस ऑरियस संक्रमण पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, जो दवाओं के लिए आसानी से प्रतिरोधी के रूप में उभर सकता है और उपचार के विकल्पों को सीमित कर सकता है। इसमें पाया जाने वाला मार-आर प्रोटीन इस बैक्टीरिया की वृद्धि और उसके जीवित रहने के लिए एक जरूरी तत्व है। लेकिन, बैक्टीरिया में इस प्रोटीन की कार्यप्रणाली बाधित होने पर वह जीवित नहीं रह पाता है। स्टैफिलोकॉकस ऑरियस बैक्टीरिया को मारने के लिए मार-आर परिवार के प्रोटीन को लक्ष्य बनाया जाना कारगर हो सकता है और इसकी का पता लगाने के लिए शोध में सैकड़ों संभावित प्रोटीन लक्ष्यों का परीक्षण किया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि स्टैफिलोकॉकस ऑरियस मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक सहजीवी बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया प्रायः त्वचा और शरीर के भीतर श्लेष्मा झिल्लियों में पाया जाता है। पर, रक्त प्रवाह या फिर भीतरी ऊतकों में यह बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए तो निमोनिया, एंडोकार्डिटिस (हृदय वॉल्व संक्रमण), ऑस्टिमिलिटिस (हड्डियों का संक्रमण) जैसे गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। इन संक्रमणों से निपटने के लिए प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ती है।

विश्व परिक्रमा

धर्मांतरण रोकने के लिए पाक में समिति का गठन

रविवार, 24 नवंबर : रूढ़ीवादी मुसलिम बहुल पाकिस्तान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का जबरन धर्मांतरण रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का मसविदा बनाने के लिए 22 सदस्यीय संसदीय समिति गठित की है। इस संबंध में सीनेट सचिवालय ने 21 नवंबर को अधिसूचना जारी की।

सरकार विरोधी प्रदर्शनों को जनता का समर्थन

सोमवार, 25 नवंबर : हांगकांग में पिछले छह महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है, इस बीच जिला परिषदों के चुनावों के लिए रविवार को मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें जनता के समर्थन का प्रमाण हैं।

हांगकांग चीन का हिस्सा है : चीन

मंगलवार, 26 नवंबर : चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को कहा कि हांगकांग चीन का हिस्सा है और वहां सप्ताहांत में हुए सामुदायिक स्तर के चुनावों में 'क्या हो रहा है, मायने नहीं रखता' है। वांग ने तोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात के बाद ये बातें पत्रकारों से कहीं।

जनरल कमर जावेद बाजवा

पाक सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने पर रोक

बुधवार, 27 नवंबर : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाने संबंधी अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी। यह फैसला बाजवा की 29 नवंबर को होने जा रही सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आया है। प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।

बांग्लादेश में कैफे हमले में सात को फांसी

गुरुवार, 28 नवंबर : बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में 2016 में हुए इस्लामिक स्टेट के हमले में संलिप्तता के आरोप में विशेष बांग्लादेशी न्यायाधिकरण ने आठ संदिग्धों में से सात को मौत की सजा सुनाई है। भीषण आतंकवादी हमले में एक भारतीय लड़की समेत 20 लोग मारे गए थे।

अफगानिस्तान में आठ बच्चों समेत 15 की मौत

शुक्रवार, 29 नवंबर : उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में बुधवार को एक वाहन के गुजरने से बारुदी सुरंग में हुए विस्फोट के कारण आठ बच्चों समेत 15 नागरिकों की मौत हो गई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने यह जानकारी दी।

अल्बानिया भूकंप में 50 की मौत, हजारों बेघर

शनिवार, 30 नवंबर : अल्बानिया में इस हफ्ते की शुरुआत में आए भयंकर भूकम्प में 50 लोगों की मौत हो गई और पांच हजार से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने भूकम्प से हुए नुकसान के आंकड़े शुक्रवार को सामने रखते हुए यह जानकारी दी। 6.4 तीव्रता का भूकम्प घातक व विनाशकारी था।

जानें-समझें

अयोध्या पर पुनर्विचार याचिका

अधिकार की लड़ाई या सियासत के दांव

दीपक रस्तोगी

अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसके बाद ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में जाने की तैयारी में हैं। पुनर्विचार याचिका में जमीयत ने वही तर्क रखे हैं, जिन्हें अदालत ने अतीत में खारिज कर दिया है। मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोई नई बात नहीं कर रहा। वह नौ दिसंबर के पहले अदालत जाएगा। कानून विद मान रहे हैं कि किसी की भी पुनर्विचार याचिका के अदालत में टिकने की संभावना कम ही है। दूसरी ओर, मुसलिम पक्षकारों का बड़ा एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने का पहले ही ऐलान कर चुका है। ऐसे में सवाल है कि इस मामले को खींचने में जुटे धड़े का असल उद्देश्य क्या है?

जमीयत की पुनर्विचार याचिका

पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा तो हम उसका पालन करेंगे। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से पक्षकार एम सिद्दीकी के कानूनी वारिस और उत्तर प्रदेश जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहाद रशीदी ने 217 पन्नों की याचिका में मांग की कि संविधान पीठ के आदेश पर नौ नवंबर तक अंतरिम रोक लगाई जाए, जिसमें कोर्ट ने विवादित जमीन को राम मंदिर के पक्ष राय दी थी और केंद्र को ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1934, 1949 और 1992 में मुसलिम समुदाय के साथ हुई ना-इंसाफी को गैरकानूनी करार दिया, लेकिन उसे नजरअंदाज भी कर दिया। पूर्ण न्याय तभी होता जब मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 1528 से 1856 तक वहां नमाज न पढ़ने के साक्ष्य सही है। याचिका में कहा गया कि माननीय अदालत ने अपने फैसले में मस्जिद ढहाए जाने को दोषपूर्ण कृत्य करार दिया था। इसके बावजूद फैसला पूरी तरह से हिंदू पक्षकारों की ओर गया है।

इनका कहना है

फाइल फोटो

अयोध्या फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक

मुसलिम पक्ष का यह अधिकार है कि वह पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। यह मसला अब खत्म हो चुका है, इसलिए मेरा उनसे कहना है कि वे अपने फैसले (पुनर्विचार याचिका दाखिल करने) पर फिर से सोचें। दोनों पक्षों ने अयोध्या फैसले को स्वीकार किया है।
-श्री श्री रविशंकर, अध्यात्मिक गुरु

मुल्क के 99 फीसद मुसलमान यह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। अगर यह समझा जा रहा है कि बहुत बड़ा तबका इस याचिका के विरोध में है, तो यह गलतफहमी है। हमें आशंका है कि हमारी याचिका ठुकरा दी जाएगी, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे पेश भी न करें।
-मौलाना वली रहमानी, महासचिव, ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड

अयोध्या सांप्रदायिक विषय नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है जिसको कानून के दायरे में आगे ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर और राजनीति नहीं हो सकेगी। संवैधानिक अधिकार के लिए पुनर्विचार याचिका जायज है।
-जफरयाब जिलानी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील

मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड

इस मामले में ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अदालत जाएगा। बोर्ड इस मामले में पक्षकार नहीं था, फिर भी वो देश के मुसलमानों की तरफ से ऐसा करने जा रहा है। बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी के मुताबिक, इसे नौ दिसंबर से पहले किसी भी दिन दाखिल किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि उसे बाबरी मस्जिद के बदले दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन मंजूर नहीं है। मुसलमान पक्ष मस्जिद की जमीन के लिए कोर्ट नहीं गए थे। उन्हें वही जमीन चाहिए जहां बाबरी मस्जिद बनी थी। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कुछ नेताओं ने मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाया है और इसे राजनीति से प्रेरित और माहौल खराब करने की कोशिश बताया है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि अयोध्या पर उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है। 26 नवंबर को लखनऊ में हुई बैठक में बहुमत से इस निर्णय पर मुहर लगा दी जा चुकी है। दूसरे मुसलिम पक्षकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि दो धड़े क्यों विरोध में हैं और इससे क्या हासिल होगा?

मुसलिम बुद्धिजीवी

अभिनेता नसीरूद्दीन शाह और शबाना आजमी समेत देश भर की 100 जानी-मानी मुसलिम शख्सियतें अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का विरोध कर चुकी हैं। इन शख्सियतों ने कहा है कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के कुछ पक्षकारों का याचिका दायर करने का फैसला विवाद को जिंदा रखेगा और मुसलिम कौम को नुकसान पहुंचाएगा। इसमें इस्लामी विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, कारोबारी, शायर, अभिनेता, फिल्मकार, थिएटर कलाकार, संगीतकार और छात्र शामिल हैं। इनके बयान में कहा गया है, 'हम इस तथ्य पर भारतीय मुसलिम समुदाय, संवैधानिक विशेषज्ञों और धर्मनिरपेक्ष संगठनों की नाखुशी को साझा करते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना निर्णय करने के लिए कानून के ऊपर आस्था को रखा है।' बयान पर दस्तखत करने वालों में शाह, आजमी, फिल्म लेखक अंजुम राजबली, पत्रकार जावेद आनंद समेत अन्य शामिल हैं।

व्यक्तित्व

षंजना थम्मा : तीन साल की 'सुपर कंप्यूटर'

जनसत्ता संवाद

जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना और पेंसिल पकड़ना तक नहीं जानते उस उम्र में मध्य प्रदेश की षंजन थम्मा नए-नए रेकॉर्ड बना रही है। उज्जैन निवासी षंजना थम्मा महज तीन साल की हैं। नन्हीं षंजना के नाम दोनों हाथों से लिखने का रेकॉर्ड है और बहुत जल्द उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। षंजना थम्मा दुनिया में सबसे कम उम्र में 'यंगेस्ट एक्टिवट्रेक्स्ट्रस राइटर' के रूप में वर्ल्ड रेकॉर्ड बना चुकी हैं। षंजना महज दस माह की उम्र से ही लिखती है। इस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपनी तोतली आवाज में बोलने और नन्हें कदमों से चलने की कोशिश करते हैं उस उम्र से षंजना एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से लिखने की कला जानती है। देश की इस नन्हीं प्रतिभा को लोग 'सुपर कंप्यूटर' भी कहने लगे हैं।

हाल ही में इस नन्हीं प्रतिभा से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की। षंजना थम्मा से हुई भेंट की तस्वीर मुख्यमंत्री दफ्तर के ट्विटर हैंडल से जारी की गई थी। षंजना अपनी मां मानसी थम्मा और नाना रमेश चंद्र शर्मा के साथ मुख्यमंत्री से मिलने उनके दफ्तर आई थीं। षंजना जैसे ही कक्ष में दाखिल हुईं, मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया। षंजना से उन्होंने सवाल किया कि उसे कौन-कौन से मेडल प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने उसकी एक-एक उपलब्धि को देखा। मुख्यमंत्री ने षंजना को फूलों का गुलदस्ता और एक प्रशंसा पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा 'धन्य है हमारा प्रदेश, जहां इतनी अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिभाओं का प्रदेश हित में प्रेरणा के रूप में उपयोग करेंगे।' मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान षंजना की मां मानसी ने बताया कि जब वह दस माह की थी तभी से दोनों हाथों से लिखती है। उसे इसी उम्र से एक से दस तक की गिनती भी याद थी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी षंजना को दुनिया के 235 देशों और उनकी राजधानी के नाम मुंह जबानी याद हैं। उसके उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उसकी मां मानसी ने बताया कि उसे विज्ञान, राजनीति और दुनिया के भूगोल की गहरी समझ और जानकारी है। षंजना का पहला रेकॉर्ड दो साल 11 माह में बना था, जब वह दोनों हाथों से लिखने लगी थी। उसका दूसरा रेकॉर्ड भी इसी उम्र में बना था, यह रेकॉर्ड कम उम्र में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के साथ ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान उसे पूरा याद होने के कारण बना। उसे 'वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ इंडिया' और 'एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड' मिल चुका है। षंजना की मां के अनुसार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। षंजना की अपनी खुद की 250 किताबों की लाइब्रेरी है। षंजना नर्सरी में पढ़ती है, लेकिन उसे नौंवी कक्षा तक का पूरा ज्ञान है। उसकी मां ने बताया कि इतनी कम उम्र में भी वह चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को देखने के लिए रातभर जग रही थीं। षंजना की मां मानसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पिता श्रीधर थम्मा वायुसेना में हैं। फिलहाल षंजना की मां ने बेटी की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बीएड कर रही हैं, ताकि वह खुद ही बेटी को पढ़ा सकें।

www.readwhere.com